निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 फाल्गुन 1936 (श0)

संख्या 10 पटना, बुधवार,

11 मार्च 2015 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-7
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	8-21
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	23-33

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
3 मार्च 2015

सं० 6/प्रो0–6–07/2013– **927**/वा0–कर**—**सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1800 दिनांक 09.06.2011 द्वारा बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य–कर उपायुक्त कोटि वेतनमान् रूपये 15600–39100 ग्रेड पे 7600 से वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त कोटि वेतनमान् रूपये 37400–67000 ग्रेड पे 8700 में प्रोन्नति हेतु 05 वर्षो की कालावधि निर्धारित है। उक्त संकल्प के कंडिका 3 (v) के आलोक में बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित वाणिज्य–कर उपायुक्त कोटि के पदाधिकारियों को वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि 05 वर्षो में से उनके नाम के सामने कालम VI में अंकित अवधि को क्षांत किया जाता है :–

क्रमांक	नाम	प्रथम नियुक्ति की तिथि	सहायक आयुक्त कोटि में प्रोन्नति की तिथि	उपायुक्त कोटि में प्रोन्नति की तिथि	क्षांत की जाने की अवधि
I	II	III	IV	V	VI
1	श्री अशोक कुमार शर्मा	29.06.1990	05.05.2008	22.02.2012	02 वर्ष 02 माह
2	श्री जीवन अग्रवाल	26.06.1990	05.05.2008	22.02.2012	02 वर्ष 02 माह

2. प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, अवर सचिव।

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना
18 फरवरी 2015

सं० भा0व0से0स्था0 55/08/533/प0व0—डा0 के0 गणेश कुमार, भा0व0से0 (2006), वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक–12026/09/2014 IFS-I दिनांक 20.01.2015 द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उप वन संरक्षक के पद पर प्रतिनियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उन्हें उक्त पद पर योगदान हेतु विरमित किया जाता है।

डा0 के0 गणेश कुमार, भा0व0से0 वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा अपने पद का प्रभार श्री एस0 सुधाकर, भा0व0से0 (2007) को सौंपकर विरमित होंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, उप–सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं
14 जनवरी 2015

सं0 01/स्था0 (कार्य0पदा0)–10/2014–**262**/न0वि0एवंआ0वि0**—**श्री सिद्धार्थ हर्षवर्द्दन, तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सोनपुर के दिनांक 07.06.2014 से 31.12.2014 तक (संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा, 2014 की तैयारी हेतु) उर्पाजित अवकाश में रहने के उपरान्त दिनांक 01.01.2015 के पूर्वाह्न से इनका योगदान नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना मुख्यालय में स्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव।

28 जनवरी 2015

सं0 01/स्था0/अभियंता–06/2014–**491**/न0वि0एवंआ0वि0**—**जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास में पदस्थापित श्री नवीन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता के दिनांक 31.01.15 के सेवानिवृत होकर प्रभार मुक्त होने के फलस्वरूप जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास एवं कैमूर का प्रभार कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, औरंगाबाद (अपने कार्यों के अतिरिक्त) को सौंपने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय रंजन, उप–सचिव।

---

10 फरवरी 2015

सं0सं0–04 (न0)/स्था0–न0नि0–73/2008–**702**/न0वि0एवंआ0वि0**—**जिला पदाधिकारी, मोतीहारी के आदेश ज्ञापांक–795 दिनांक 03.11.14 के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा–41 के तहत् मो0 इस्माईल अंसारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, मेहसी को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मेहसी के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, अवर सचिव।

---

11 फरवरी 2015

सं0 01/स्था0 (विविध)–15/2014–**728**/न0वि0एवंआ0वि0**—**नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्थानीय निकायों पर सतत् एवं प्रभावी नियंत्रण रखने एंव उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु विभागीय संकल्प सं0 2881 दिनांक 16.08.12 द्वारा नगरपालिका प्रशासन निदेशालय का गठन किया गया है।

नगरपालिका प्रशासन निदेशालय के निदेशक (विशेष सचिव के समकक्ष) को कार्यों के निष्पादन हेतु विभागीय स्तर से, वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आधार पर, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन कार्यपालिका नियमावली के नियम–21 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा0 बी0 राजेन्दर, सचिव।

---

16 फरवरी 2015

सं0 04 न0/स्था0–73/08–**808**/न0वि0एवंआ0वि0**—**बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा–41 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री सुधीर कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मैरवा को नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मैरवा के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव।

पथ निर्माण विभाग

आदेश

3 दिसम्बर 2014

सं० 1/विविध–75/2014–11672 (S)—श्री चमन प्रकाश सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं जन संपर्क विभाग से संबंधित कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

आदेश से,
शैलेश कुमार, अपर सचिव।

सं० वि० प्रा० (I) क[1]–35/2014–166

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

20 जनवरी 2015

विषय – राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक शक्तियों के आलोक में अधिमानता को मात्र कलेन्डर वर्ष 2014 में प्रेषित अधियाचनाओं के प्रसंग में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में समाहित करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के विभिन्न पोलिटेकनिक संस्थानों/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली–2014 अधिसूचित है।

2. विभागीय संकल्प संख्या 1412, दिनांक 27.05.2013 के द्वारा विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विभिन्न कोटि के व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत रहे कर्मियों को नियमित नियुक्ति में उनके द्वारा किये गये संतोषजनक सेवा के लिए 6 माह से ऊपर की कार्यावधि को पूर्णवर्ष मानते हुए एक वर्ष के लिए 1 (एक) प्रतिशत अधिकतम 5 वर्षो के लिए (अधिकतम 5 प्रतिशत) की अधिमानता एवं Overage होने की स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा में पूर्व से सम्पादित सेवा अवधि के समतुल्य किये जाने का प्रावधान किया गया था।

3. सरकार द्वारा व्याख्ताओं के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषितं की गई अधियाचनाओं में अधिमानता के अंकों को 100% के अन्तर्गत समाहित करने पर सहमति बनी।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 14480/2014 में पारित आदेश के अनुपालन में अधिमानता के प्रावधान में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया ।

5. उक्त के आलोक में ''**भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक शक्तियों के आलोक में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में मात्र कलेन्डर वर्ष 2014 में प्रेषित अधियाचनाओं के प्रसंग में नियमावली के परिशिष्ट–1 तालिका–2 में अकादमी रेकर्ड एवं अनुसंधान (वेटेज–30) में अधिकतम 10 प्रतिशत अधिमानता को समाहित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**'' उक्त संकल्प के साथ नियमावली के परिशिष्ट–1 तालिका–2 की संशोधित तालिका संलग्न है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, अपर सचिव।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

परिशिष्ट-1

तालिका-2

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के व्याख्याता पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीमः

संवर्गीय पद	कुल वेटेज – 100		
	अकादमिक रिकार्ड तथा अनुसंधान निषपादन (वेटेज-30)	कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन (वेटेज-50)	साक्षात्कार निष्पादन - (वेटेज-20)
व्याख्याता (क) **मानविकी एवं विज्ञान** (ख) **इंजीनियरी / प्रौद्योगिकी**	a) 15% of Percentage Marks obtained in M.Sc./MA in relevant subject. b) 10% of Percentage Marks obtained in B.Sc. (Hons)/BA (Hons) in relevant subject. c) Ph.D -05 a) 15% of Percentage Marks obtained in B.Tech. in relevant branch. b) 10% of Percentage Marks obtained in M.Tech. in relevant branch. c) Ph.D -05	क) **मानविकी एवं विज्ञान** के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के संबंधित कोर विषय का पाठयक्रम ख) **इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी** संकाय के लिये ग्रेजुएट एपटीटयूड टेस्ट इंजीनियरिंग (GATE) के पाठयक्रम	

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के व्याख्याता पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीमः (संशोधित)

संवर्गीय पद	कुल वेटेज – 100		
	अकादमिक रिकार्ड तथा अनुसंधान निषपादन (वेटेज -30)	कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन (वेटेज-50)	साक्षात्कार निष्पादन - (वेटेज-20)
व्याख्याता (क) **मानविकी एवं विज्ञान** (ख) **इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी**	a) 15% of Percentage Marks obtained in M.Sc./MA in relevant subject. b) PhD-05 c) Weightage -10% (Maximum) (बिहार राज्य में अनुबंध के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत रहे शिक्षकों को उनके द्वारा किये गये संतोषजनक सेवा के लिए छः माह से उपर के कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानते हुए प्रतिवर्ष के लिए दो प्रतिशत की दर से) a) 15% of Percentage Marks obtained in B.Tech. in relevant branch. b) 5% of Percentage Marks obtained in M.Tech. in relevant branch. c) Weightage -10% (Maximum) (बिहार राज्य में अनुबंध के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत रहे शिक्षकों को उनके द्वारा किये गये संतोषजनक सेवा के लिए छः माह से उपर के कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानते हुए प्रतिवर्ष के लिए दो प्रतिशत की दर से)	क) **मानविकी एवं विज्ञान** के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के संबंधित कोर विषय का पाठयक्रम ख) **इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी** संकाय के लिये ग्रेजुएट एपटीटयूड टेस्ट इंजीनियरिंग (GATE) के पाठयक्रम	

SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

Appendix- I

TEBLE- 2

Weightage Scheme for Direct Recruitment to the Post of Lecturer in Bihar Polytechnic Education Service:

Cadre Post	Total Weightage - 100		
	Academic Record and Research Work (Weightage - 30)	Evaluation of Work- Knowledge and Teaching Skill Through Written Test (Weightage - 50)	Interview (Weightage - 20)
Lecturer **(a) Humanities & Science** **(b) Engineering / Technology**	(a) 15% of Percentage Marks obtained in M.Sc./MA in relevant subject. (b) 10% of Percentage Marks obtained inB.Sc. (Hons)/BA (Hons) .in relevant subject. (c) Ph.D. - 05 (a) 15% of Percentage Marks obtained in B. Tech. in relevant branch/subject. (b) 10% of Percentage Marks obtained in M.Tech in relevant branch. (c) Ph.D. - 05	(a) For Science and Humanities the syllabus of the relevant Core Subject of National Eligibility Test (NET) conducted by University Grants Commission (UGC). (b) For Engineering/ Technology stream, the syllabus of Graduate Aptitude Test Engineering (GATE).	

Weightage Scheme for Direct Recruitment to the Post of Lecturer in Bihar Polytechnic Education Service: (Revised)

Cadre Post	Total Weightage - 100		
	Academic Record and Research Work (Weightage - 30)	Evaluation of Work- Knowledge and Teaching Skill Through Written Test (Weightage - 50)	Interview (Weightage - 20)
Lecturer **(a) Humanities & Science** **(b) Engineering/ Technology**	(a) 15% of Percentage Marks obtained in M.Sc./MA in relevant subject. (b) Ph.D. – 05 (c) Weightage- 10 % (Maximum) (At the rate of two percent per year, assuming one full year, for the services rendered above six month, by the teachers engaged and worked on contract in the State of Bihar) (a) 15% of Percentage Marks obtained in B. Tech. in relevant branch/subject. (b) 5% of Percentage Marks obtained in M.Tech in relevant branch. (c) Weightage- 10 % (Maximum) (At the rate of two percent per year, assuming one full year, for the services rendered above six month, by the teachers engaged and worked on contract in the State of Bihar)	(a) For Science and Humanities the syllabus of the relevant Core Subject of National Eligibility Test (NET) conducted by University Grants Commission (UGC). (b) For Engineering/ Technology stream, the syllabus of Graduate Aptitude Test Engineering (GATE).	

सं० 01/रेगु०–1000–20/2014–2731

गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

2 दिसम्बर 2014

विषय :– बिहार राज्य चीनी निगम लि० की इकाई हथुआ में बंद पड़े एक अदद Vintage Narrow Guage Steam Locomotive Engine को पूर्व मध्य रेलवे (हाजीपुर) को Heritage Park मे रखने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति।

राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम लि०, इकाई–हथुआ में स्थित एक अदद् पूराने धरोहर (Heritage) महत्त्व के Narrow Guage Vintage Steam Locomotive Engine को पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के अनुरोध पर उसे पूर्व मध्य रेलवे के Heritage Park में रखने हेतु निःशुल्क रेल मंत्रालय, भारत सरकार के हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक के प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल, प्रधान सचिव।

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

20 फरवरी 2015

सं० यो0स्था01/4–1/2015–**842—**सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0 1467 दिनांक 27.01.2015 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवा जिला योजना पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु प्राप्त कराई गई है। सेवा प्राप्त पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ–4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता हैं :–

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3
1.	श्री सुरेश प्रसाद, 1369/11, नवादा	जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय
2.	श्री सुजय कुमार सिंह, 1351/11, पूर्वी चम्पारण	जिला योजना पदाधिकारी, रोहतास
3.	श्री मुकेश कुमार, 1404/11, सीतामढ़ी	जिला योजना पदाधिकारी, भभुआ
4.	श्री प्रभात कुमार झा, 966/11, मधुबनी	जिला योजना पदाधिकारी, अररिया
5.	श्री कुमार पंकज, 1298/11, रोहतास	जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद
6.	श्री रमण कुमार सिन्हा, 663/11, बेगूसराय	जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर
7.	श्री जन्मेजय शुक्ला, 1329/11, उ0प्र0	जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर
8.	श्री ओम प्रकाश, 492/11, भोजपुर	जिला योजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी
9.	श्री उपेन्द्र प्रसाद, 634/11, औरंगाबाद	जिला योजना पदाधिकारी, प0 चम्पारण (बेतिया)

2. श्री मुनेश्वर चौधरी, जिला योजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला योजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी से स्थांनातरित करते हुए जिला योजना पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अजय कुमार सिंह, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 51—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

जल संसाधन विभाग

शुद्धि–पत्र

26 दिसम्बर 2014

सं० 7/प्रो0 (याँ०)–03–1007/2013 (अंश)–1428—जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं0 – 1286 दिनांक 27.11.2014 के साथ संलग्न विवरणी के (1) परिशिष्ट– 2 के क्रमांक–42 के सम्मुख स्तंभ–4 में अंकित तिथि 02.01.1955 के बदले 04.12.1954 एवं स्तंभ–5 में अंकित तिथि 31.01.2015 के बदले 31.12.2014 एवं स्तंभ– 6 में अंकित तिथि 05.02.1979 के बदले 02.02.1979 पढ़ा जाय।

आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष पूर्ववत् रहेंगे।

आदेश से,
सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

26 दिसम्बर 2014

सं० 7/प्रो0 (याँ०)–03–1007/2013 (अंश)–1429—जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं0 1286 दिनांक 27.11.2014 के साथ संलग्न विवरणी के (1) परिशिष्ट– 2 के क्रमांक– 26 के सम्मुख स्तंभ– 4 में अंकित तिथि 24.07.1953 के बदले 24.04.1953 एवं स्तंभ–5 में अंकित तिथि 31.07.2013 के बदले 30.04.2013 पढ़ा जाय।

(2) परिशिष्ट–2 के क्रमांक–34 के सम्मुख स्तंभ–5 में अकित तिथि 31.01.2014 के बदले 31.12.2013 पढ़ा जाय।

(3) परिशिष्ट–2 के क्रमांक–57 के सम्मुख स्तंभ–5 में अकित तिथि 31.12.2013 के बदले 30.11.2013 पढ़ा जाय।

आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष पूर्ववत् रहेंगे।

आदेश से,
सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

26 दिसम्बर 2014

सं० 7/प्रो0 (याँ०)–03–1007/2013 (अंश)–1430—जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं0 831 दिनांक 04.08.2014 के साथ संलग्न विवरणी के (1) परिशिष्ट–2 के क्रमांक–15 के सम्मुख स्तंभ–4 में अंकित तिथि 27.02.1951 के बदले 25.06.1953 एवं स्तंभ–5 में अंकित तिथि 28.02.2011 के बदले 30.06.2013 पढ़ा जाय।

(2) परिशिष्ट–2 के क्रमांक–18 के सम्मुख स्तंभ–4 में अंकित तिथि 10.11.1952 के बदले 11.10.1952 एवं स्तंभ–5 में अकित तिथि 30.11.2012 के बदले 31.10.2012 पढ़ा जाय।

आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष पूर्ववत् रहेंगे।

आदेश से,
सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

11 अगस्त 2014

सं० 11/अ0प्र0–1–74/2011–9556—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय/पटोरी/रोसरा एवं दरभंगा–1 द्वारा निम्न वर्णित पथों की स्थिति उपलब्ध करायी गयी है। उक्त पथ की स्थिति की समीक्षोपरांत निम्नवत वर्णित पथ को पथ निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्र०	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई
1	रोसरा/समस्तीपुर, दरभंगा–1/दरभंगा	रोसरा–षिवाजीनगर, बहेड़ी पथ	24.045 कि0मी0
2	दलसिंहसराय/ समस्तीपुर/पटोरी	एन0एच0–28 पगड़ा (दलसिंहसराय) से असीनचक, मनियारपुर, काँचा, सौठगामा, लगमा होते हुए चाँदनीचौक, मोहद्दीनगर रेलवे स्टेशन तक।	27.00 कि0मी0
3	दलसिंहसराय/ समस्तीपुर	सरायरंजन(पतैली) से भोजनपुर घाट अख्तियारपुर स्कूल महुली, रायपुर चौक होते हुए बरूणा (NH-103) लम्बाई 10 कि0मी0	10.00 कि0मी0

2. एतद् संबंधी पूर्व अधिसूचना संख्या 11/अ0प्र0–3–74/2011–1054 दिनांक 31.01.2013 सह पठित ज्ञापांक 1055 दिनांक 31.01.2013 एवं अधिसूचना संख्या 11/अ0प्र0–3–80/2011–237 दिनांक 09.01.2013 सह पठित ज्ञापांक 238 दिनांक 09.01.2013 की कंडिका–3 एवं कंडिका–1 को विलोपित समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शंभु चौधरी, उप–सचिव।

---

28 अप्रील 2014

सं० 11/अ0प्र0–01–01/14–4581—बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक 44 अनु0(NBC) दिनांक 10.01.2014 के द्वारा बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना अन्तर्गत विश्व बैंक ऋण सम्पोषित (फेज–2) के तहत सुपौल एवं मधेपुरा जिला के निम्नलिखित पथों पर प्रस्तावित उच्चस्तरीय पुल निर्माण के लिए अनापत्ति की मॉग की गयी थी जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल/त्रिवेणीगंज/उदाकिशुनगंज एवं मधेपुरा से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर अनापत्ति संसूचित की जाती हैः–

ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सुपौल

क्र0 स0	पथ का नाम	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**
1	मरौना प्रखंड में पड़री से कदमाहा जानेवाली पथ में तिलयुगा नदी पर पुल का निर्माण।	
2	मरौना दक्षिण पंचायत में प्राथमिक विद्यालय गोढ़ रतहो के नजदीक मरने नदी पर कोनी गॉव जानेवाली पथ में आर0सी0सी0 पुल निर्माण।	
3	सिरखरिया से खुशयाली गॉव जानेवाली पथ में मरने नदी पर आर0सी0सी0 पुल निर्माण।	
4	निर्मली प्रखंड के निर्मली बाजार से पुरब केवटापट्टी से निर्मली बाजार जानेवाली पथ में तिलयुगा नदी पर स्क्रू पाईल पुल के बगल में आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।	
5	निर्मली प्रखंड डगमारा पंचायत में ठेहो गॉव से सोनापुर जानेवाली पथ में तिलयुगा नदी पर पुल का निर्माण।	
6	कोशी बॉध के 32 आर0डी0 के पास बसैविट्टी पंचायत के बसवा गॉव में पुल का निर्माण ।	
7	वीणा से झकरा जानेवाली सड़क पर बेला गॉव के खरदाहा नदी पर पुल का निर्माण।	
8	लोकहा से बीणा जानेवाली सड़क (एकमा हाल्ट का लिंक) में बेला गॉव के खरदाहा नदी पर पुल का निर्माण (बेला दक्षिण)	
9	हड़ियाही से हरिपुर गॉव–जाने वाली पथ में इस्लामपुर गॉव के पास तिलयुगा नदी पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।	
	ग्रामीण कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज	
10	विश्वबैंक सम्पोषित परियोजना अन्तर्गत लक्ष्मिनियॉगढ़ से रामपुर पथ के नये धार में पुल निर्माण–70 मीटर	
11	विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना अन्तर्गत लालजी चौक से सोहटा पथ में सुरसर नदी में पुल निर्माण–100 मीटर	
12	विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना अन्तर्गत ललित ग्राम चापीन से तुलसी पट्टी सड़क में मुख्य नहर के बगल में 60 मीटर तथा तुलसी पट्टी में 70 मीटर लम्बा पुल निर्माण। कुल–130 मीटर	
13	विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना अन्तर्गत ललित ग्राम रेलवे स्टेशन से महादेव पट्टी रोड में पुल निर्माण– 70 मीटर	

क्र0 स0	पथ का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3
14	विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना अन्तर्गत छातापुर बस स्टैण्ड से भट्टाबाड़ी रोड में पुल निर्माण–62 मीटर	
15	विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना अन्तर्गत छातापुर बस स्टैण्ड से पश्चिम लक्ष्मीपुर खुँटी होते हुए त्रिवेणीगंज प्रखंड के हरिहरपट्टी गॉव तक जानेवाली सड़क में लक्ष्मीपुर नरैहया सीमा पर गैंडा नदी में पुल निर्माण– 150 मीटर	
16	भीमपुर पंचायत से पच्छिम लक्षमिनियॉ में ललित ग्राम स्टेशन से पश्चिम गैंडा नदी में पुल निर्माण– 125 मीटर	
17	31 नम्बर रोड घिवहा पंचायत से बैरिया जानेवाली पथ में सुरसर नदी पर घिबहा घाट जो बिन्दी यादव के घर होते हुए सड़क गयी है तथा महम्मदगंज हसनपुर को मिलाती है, में पुल निर्माण–130 मीटर	
18	पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत त्रिवेणीगंज मेला ग्राउण्ड से कुसहा पथ में ड्रेनेज पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर पुल निर्माण– 65 मीटर	
19	पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत परियाही से महदीपुर पथ के धार में पुल निर्माण–62 मीटर	
20	नार्बाड ऋण सम्पोषित परियोजना अन्तर्गत राजेश्वरी ओ0पी से तमुआ पथ के धार में पुल निर्माण– 65 मीटर	
21	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बलुआ–मधुबनी–उधमपुर 31 नम्बर रोड जानेवाली सड़क में उधमपुर अन्नत घाट के गैड़ा नदी पर एक पुल निर्माण–100 मीटर	
22	पी0एम0जी0एस0वाई अन्तर्गत निर्मित भागवत से उधमपुर पथ के गैड़ा धार में पुल निर्माण–75 मीटर	
23	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत जयराम चौधरी के घर से रामटोला सरदार टोला होते हुए मध्य विद्यालय जयनगर (सुखानगर) तक पुल निर्माण– 120 मीटर	
24	छातापुर प्रखंड में लालजी चौक से प्रतापगंज प्रखंड तक मुख्य सड़क में परियाही घाट पर गैंड़ा नदी पर पुल का निर्माण– 150 मीटर	
25	ग्राम पंचायत झखारगढ़ से सिबनी घाट श्री गीरधर सिंह के घर के निकट सुरसर नदी पर पुल निर्माण– 125 मीटर	
	ग्रामीण कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज	
26	कोशी आपदा पुनर्वास एवं पुर्ननिर्माण योजना के तहत मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड आलमनगर के अधीन खुरहान –परेल –रतवारा –कपसिया पथ निर्माण विभाग पथ में रतवारा बाजार से दक्षिण आयरण स्क्रू पाईल ब्रीज से सटे पश्चिम पर एक पॉच स्पैन का आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य।	
27	सोनामुखी–मुरौत पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ में भरहीधार पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	
28	रतवारा थाना एवं रतवारा बाजार के बीच उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	
29	गंगापुर ग्रामीण पथ में चौबटिया–लटना हरजोड़ा घाट पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ में भड़वाही धार में पॉच स्पैन पुल का निर्माण।	
30	चंदसारा–कवईया मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना में चंदसारा धार में चार स्पैन पुल का निर्माण।	
31	गंगापुर पंचायत अन्तर्गत मालावासा धार में पॉच स्पैन उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	
32	ग्राम बड़गॉव से पश्चिम बड़गॉव–बरैल पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ पर बड़गॉव धार में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण एवं	
33	बसनवारा धार ड्रेनेज में पुरैनीवासा के निकट पॉच स्पैन के उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	
34	ग्राम पंचायत लौआलागान पूर्वी में बॅटनीधार पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	
35	ग्राम पंचायत फलौत पश्चिम अन्तर्गत गंगापुर पथ में तिरासी मध्य विद्यालय के निकट उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	
36	ग्राम पंचायत लौआलगान पूर्वी प्रखंड चौसा खरूआधार एवं बलहाधार में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	
37	बाड़ाटेनी–लश्करी–दूबही–सूबही पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ में गमैलाधार ड्रेनेज पर ग्राम लश्करी से दक्षिण उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	
38	चक फलुल्लाह से शेखपुरा पथ पर चक फजुल्लाहधार में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	
39	ग्राम पंचायत नया नगर में तिवारीबासा के निकट ड्रेनेज में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	

क्र0 स0	पथ का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3
40	बालाटोला–रौता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षतिग्रस्त ग्राम रौता से उत्तर ड्रेनेज पर पॉच स्पैन पुल का निर्माण।	
41	योगीराज कैच ड्रेन बोरलाहा गॉव के निकट क्षतिग्रस्त पुल की जगह चार स्पैन का पुल निर्माण।	
42	ग्राम–रौता में योगीरात कैचड्रेन में शोभकांत यादव के घर के निकट चार स्पैन का पुल निर्माण।	
43	ग्राम कडामा में एन0एच0–106 से सटे पुरब क्षतिग्रस्त चार स्पैन आर0सी0सी0 पुल निर्माण।	
	कार्य प्रमंडल, मधेपुरा	
44	मधेपुरा प्रखंड अन्तर्गत मुरहो मदनपुर पथ में लेनिन नगर जानेवाली पथ में गुमटी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य ।	
45	मधेपुरा प्रखंड अन्तर्गत साहुगढ़ रोड न0–5 से जानेवाली पथ में परवाने नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य।	

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव।

---

27 मई 2014

सं० 11/अ0प्र0–1–4/2014–5854––पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 4166(S) दिनांक 26.05.2014 के संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद से निम्न वर्णित पथ का दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया।

तदनुसार निचे अंकित पथ का हस्तांतरण पथ निर्माण विभाग को करने संबंधी अनापत्ति संसूचित की जाती है–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	जहानाबाद/जहानाबाद	जहानाबाद–घोसी पथ के बैरागी बाग से बानावर तक भाया–पिंजौर, नबावगंज एवं विशुनगंज	28.10 कि0मी0

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजेन्द्र कुमार मिश्र, उप–सचिव।

---

2 जून 2014

सं० 11/अ0प्र0–3–56/2011–6051––पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6911(E) दिनांक 06.11.2013 के संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर के पत्रांक 919 दिनांक 29.05.2014 से निम्न वर्णित पथ का दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया।

तदनुसार नीचे अंकित पथ का हस्तांतरण पथ निर्माण विभाग को करने संबंधी अनापत्ति संसूचित की जाती है–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	दानापुर/पटना	राज्य उच्च पथ संख्या–2 के कि0मी0 3 से बिहटा चीनी मिल (प्रास्तावित DRY PORT) तक पथ के मध्य ग्रामीण कार्य विभाग का बिहटा से जिनपुरा पथ।	3.50 कि0मी0

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
धर्मदेव चौधरी, अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त सह विशेष सचिव।

8 अक्तूबर 2014

सं० 11/अ0प्र0–3–08/2012–12101—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई के पत्रांक 1205 अनु0 दिनांक 14.08.2014 से उपलब्ध निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	जमुई/जमुई	जमुई–लखीसराय पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से ग्राम ढंड से सनकुरहा होते हुए खड़सारी, मंजोस, सिझोड़ी, करमा होते हुए सिकन्दरा लखीसराय रोड।	27.00 कि0मी0

2. पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 11/अ0प्र0–03–08/12–9994/पटना, दिनांक 14.06.2012 को विलोपित समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

16 दिसम्बर 2014

सं० प्र0–8/ पथ अधि0–19–17/2011–5814(E)—सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण कार्य विभाग/ बिहार राज्य आवास बोर्ड के स्वामित्व वाले निम्नलिखित पथों / पथांशों को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जाता है:–

क्र0 सं0	जिला	संबंधित पथ प्रमंडल का नाम	पथ का नाम/ मार्ग रेखन	लम्बाई (कि0मी0 में)	प्राप्त अनापत्ति का प्रसंग
1.	जमुई	जमुई	जमुई–लखीसराय पी0डब्लू0डी पथ से ग्राम ढंड से सनकुरहा होते हुए खड़सारी मंजोस, सिझोड़ी, करमा होते हुए सिकन्दरा लखीसराय रोड ।	27.00	ग्रा0का0वि0 का अधिसूचना सं0 12101, दिनांक 08.10.14
2.	जहानाबाद	जहानाबाद	NH-83 जहानाबाद से कल्पा–किनारी–धुरिया होते SH-69 तक पथ का पथांश जहानाबाद टॉली किनारी–भवानीचक–सुरंगापुर पथ आदमपुर पथ।	16.00	ग्रा0का0वि0 का अधिसूचना सं0 13087, दिनांक 10.11.14
3.	पटना	नई राजधानी पटना	काँटी फैक्ट्री रोड (महात्मा गाँधी नगरचौक) से भूतनाथ रोड एवं मकान सं0- 2M/28 से 2M/42 तक।	0.714	बिहार राज्य आवास बोर्ड के पत्रांक 7830, दिनांक 21.10.14

2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का प्रभार संबंधित विभाग से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को समर्पित करेंगे।

3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

9 अक्तूबर 2014

सं० प्र0–8/पथ अधि0–19–17/2011–4759(E)—सरकार के आदेशानुसार नगर विकास विभाग/नगर निगम/नगर परिषद् के स्वामित्व वाले निम्नलिखित पथों/पथाशों को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जाता है :–

क्र० सं०	जिला	संबंधित पथ प्रमंडल का नाम	पथ का नाम/मार्गरेखन	लम्बाई (कि०मी० में)	प्राप्त अनापत्ति पत्र का प्रसंग
1	2	3	4	5	6
1	पटना	नई राजधानी पथ प्रमंडल	पूर्णेन्दु नगर कालोनी फुलवारीशरीफ, पटना में मुख्य सड़क से श्री योगेन्द्र भक्त एवं ई० कृष्णा मुरारी चौधरी के मकान तक पथ।	0.097	नगर परिषद् फुलवारीशरीफ का पत्रांक–452 सा/ दिनांक 01.07.14
2	पटना	पटना पश्चिम पथ प्रमंडल	बेली पथ से निकलकर भाया जलालपुर सिटी होते हुए नहर के पश्चिम तटबन्ध वाले पथ (पटना–खगौल पथ) तक।	1.15	नगर परिषद् दानापुर का पत्रांक–1793 दिनांक 17.12.13

2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का प्रभार संबंधित विभाग से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को समर्पित करेंगें।

3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

———

16 दिसम्बर 2014

सं० प्र0-8/ पथ अधि0-19-17/2011-5816(E)—सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले निम्नलिखित पथों / पथांशों को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जाता है:-

क्र0 सं0	जिला	संबंधित पथ प्रमंडल का नाम	पथ का नाम/ मार्ग रेखन	लम्बाई (कि0मी0 में)	दायित्व रहित अनापति प्रमाण-पत्र हेतु प्रासंगिक पत्र
1.	गया	गया	चातर (पाई बिगहा) से टेकारी भाया मेन ग्राम पथ।	19.60	प0नि0वि0 का पत्रांक-4606(ई0)दिनांक 29.09.14
2.	लखीसराय	लखीसराय	विद्यापीठ चौक रहुआ मुड़वरिया बलीपुर मोहनपुर पथ।	9.00	प0नि0वि0 का पत्रांक-4640(ई0)दिनांक 30.09.14
3.	छपरा	छपरा	चिरान्द से NH-19 तक पथ।	2.20	प0नि0वि0 का पत्रांक-4826(ई0)दिनांक 14.10.14

2. ग्रामीण कार्य विभाग के उक्त पथों को पथ निर्माण विभाग को हस्तानांतरित करने के विन्दु पर ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक- 13386, दिनांक 17.11.14 द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है।

3. ग्रामीण कार्य विभाग से विधिवत अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का प्रभार संबंधित ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन (लम्बाई सहित) तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को समर्पित करेंगे।

4. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

---

9 अक्तूबर 2014

सं० प्र0–8/पथ अधि0–19–17/2011–4757(E)—सरकार के आदेशानुसार जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले निम्न बांध/नहर पर पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ/पुल निर्माण एवं इसके संधारण कार्य हेतु निर्णय लिया जाता है :–

क्र० सं०	जिला	संबंधित पथ प्रमंडल का नाम	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी०) लगभग	जल संसाधन विभाग से प्राप्त अनापत्ति पत्र का प्रसंग
1	2	3	4	5	6
1	गया	शेरघाटी	जी०टी० रोड डोभी से नहर किनारे पर घोड़ाकाट तक।	11.000	अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1363, दिनांक 30.09.2014
2	भभुआ	भभुआ	सरैया–गेट (मुण्डेश्वरी) से भगवानपुर मोड़ तक।	2.600	अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1362, दिनांक 30.09.2014
3	सुपौल	सुपौल	राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–57 (भूतहा चौक) से पश्चिमी कोशी तटबंध होकर निर्मली–मधेपुर पथ तक।	6.100	संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग के पत्रांक–2295, दिनांक 22.09.2014
4	पश्चिमी चम्पारण	बेतिया	रतवल रजवटिया होते हुए चखनी NH-28B तक।	10.200	संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग के पत्रांक–2296, दिनांक 22.09.2014
5	पश्चिमी चम्पारण	बेतिया	लौरिया (पश्चिमी चम्पारण) से सुगौली (पूर्वी चम्पारण) तक।	0.300	संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1139, दिनांक 26.09.2014
6	बेगूसराय	बेगूसराय	राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–31 के BTPS चकिया से गुप्ता लखमिनिया बाँध होते हुए एन०एच०–31 के लखमिनिया बलिया तक (बेगूसराय बाईपास पथ)।	36.40	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार समस्तीपुर का पत्रांक–41, दिनांक 10.01.2011

2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता उपर्युक्त पथों को विभागीय पंजी में संधारित करते हुए जल संसाधन विभाग के शर्त्तों के अनुरूप पथ निर्माण कार्य हेतु अग्रतर कार्रवाई करेंगे।

3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

9 अक्तूबर 2014

सं० प्र0–8/पथ अधि0–19–17/2011–4755(E)—सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले निम्नलिखित पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जाता है :–

जिला	संबंधित प्रमंडल का नाम	क्र० सं०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी०) लगभग	दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रासंगिक पत्र	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
गया	गया	1	बराबर से बलुआ खन्धा पथ।	18.50	प०नि०वि० का पत्रांक–4130 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
		2	बेला बराबर पथ (लिंक श्रीपुर)	16.700	प०नि०वि० का पत्रांक–4129 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
गया	गया	3	ए०एन० कॉलेज मोड़ से एफ०सी०आई० गोदाम होते कोइलवा मोड़ पथ के ए०एम० कॉलेज मोड़ से परैया तक भाया एफ०सी०आई० गोदाम पथ।	5.200	प०नि०वि० का पत्रांक–4226 (E) अनु०, दि० 15.09.14	
	शेरघाटी	4	ए०एन० कॉलेज मोड़ से एफ०सी०आई० गोदाम होते कोइलवा मोड़ पथ के परैया से कोइलवा मोड़ तक।	24.500		
	शेरघाटी	5	जी०टी० रोड पिपरहट्टी से अच्छमा, बड़ीकेवाल, मोहनडीह, सोहनडीह, इन्दरपुर, सुल्तानपुर होते कोठवारा तक।	8.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4127 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	6	धमदाहा से बनमनखी पथ।	22.000	प०नि०वि० का पत्रांक–4131 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
सुपौल	सुपौल	7	सिमराही एन०एच०–106 से डुमरी चौक एन०एच०–106 तक पथ भाया पिपराही विशुनपुर– खिखरीपट्टी पथ (पूर्व अधिग्रहित पथ) के वायसी पासवान टोला से साहू टोला राम टोला, यादव टोला, मेहता टोला होते हुए डुमरी चौक तक पथ।	4.000	प०नि०वि० का पत्रांक–4155 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
किशनगंज	किशनगंज	8	मुरालीगच्छ बंगाल बोर्डर से ठाकुरगंज तक पथ	14.400	प०नि०वि० का पत्रांक–4154 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
समस्तीपुर	समस्तीपुर	9	मोहिउद्दीननगर (बलुआही) से पतसिया पथ	9.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4153 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
रोसड़ा	रोसड़ा	10	बाकरपुर चौक से सुलतानपुर घटहाटोल होते महम्मदीपुर बोचहाघाट पथ	12.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4152 (E) अनु०, दि० 12.09.14	

जिला	संबंधित प्रमंडल का नाम	क्र० सं०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी०) लगभग	दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रासंगिक पत्र	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
दरभंगा	रोसड़ा / बेनीपुर	11	सिंधिया प्रखंड के कलाली चौक से कुषेष्वर स्थान प्रखंड के मसान कोण मुख्य सड़क तक पथ **पथ प्रमंडल, रोसड़ा अन्तर्गत पथ प्रमंडल, बेनीपुर अन्तर्गत**	8.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4151 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
		12		3.200		
सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	13	बेलसंड प्रखंड के परतापुर से गिसारा परोरी होते हुए डुमरा बडी बाजार तक पथ।	18.000	प०नि०वि० का पत्रांक–4150 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	14	चकौती बाजार से महिसौथा दसई, सिरसी, भदियन मदारीपुर, बरहरवा भासर होते हुए डुमरा तक पथ।	46.000	प०नि०वि० का पत्रांक–4149 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
भागलपुर	भागलपुर	15	महादेवपुर घाट से लातीपुर पथ	8.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4263 (E) अनु०, दि० 16.09.14	
दरभंगा	दरभंगा	16	गौरौल सेतु से उप सड़क किरतपुर प्रखंड के जमालपुर से गौरा बौड़ाम प्रखंड के बौराम तक पथ (कोषी बॉध जमालपुर से कमला बॉध–बौराम तक)।	6.300	प०नि०वि० का पत्रांक–4148 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
दरभंगा	दरभंगा	17	बेदौली से ब्रम्हपुर हाट भाया रतनपुर चौक	5.000	प०नि०वि० का पत्रांक–4147 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
कटिहार	बारसोई	18	एस0एच0–98 के कि०मी० 33 अंश मीनापुर से सालमारी (आजमनगर लिंक पथ) भाया पंचगच्छी।	4.600	प०नि०वि० का पत्रांक–4146 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
शेखपुरा	शेखपुरा	19	नेमदारगंज से रमजानपुर पथ	9.850	प०नि०वि० का पत्रांक–4228 (E) अनु०,दि० 15.09.14	
शेखपुरा	'शेखपुरा	20	शेखपुरा सुमका पथ।	20.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4227 (E) अनु०,दि० 15.09.14	
पटना	पटना सिटी	21	मसौढ़ी–नौबतपुर भाया पितमास पथ के तिसखोरा (पितमास) से कोड़ौना एन०एच०–83 भाया भगवान गंज पथ।	24.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4145 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
पश्चिम चम्पारण	बेतिया	22	पश्चिम चम्पारण के बॉसी–देवीपुर–रंगललही पथ के रंगललही से धनहा तक पथ।	6.000	प०नि०वि० का पत्रांक–4233 (E) अनु०, दि० 15.09.14	
खगडिया / मुंगेर	खगडिया / मुंगेर	23	जमालपुर गोगरी नारायणपुर बॉध से झउआ बहियार– हरिणमार अरसैया होते गोगरी बॉध तक पथ।	20.000	प०नि०वि० का पत्रांक–4230 (E) अनु०, दि० 15.09.14	

जिला	संबंधित प्रमंडल का नाम	क्र० सं०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी०) लगभग	दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रासंगिक पत्र	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
खगड़िया	खगड़िया	24	अगुवानी घाट परबता से नारायणपुर तक पथ।	24.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4144 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
औरंगाबाद	औरंगाबाद	25	गया पंचानपुर दाउदनगर पथ के कि०मी०–56 वाँ में स्थित कोईलवा मोड़ से कोईलवा चनहट, झिगुरी, इटवा, भारतीपुर, कस्तुरीपुर, पौथु, बराही बाजार तक पथ।	21.200	प०नि०वि० का पत्रांक–4143 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
लखीसराय	लखीसराय	26	दरौक मोड़ से घाटकुसुम्भा तक (भाया कमरपुर मानपुर)	7.000	प०नि०वि० का पत्रांक–4142 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
लखीसराय	लखीसराय	27	बडहिया से फदरपुर कोठवा महराम चक नथनपुर होते हुए पाली शेखपुरा के गुरेरा तक	20.000	प०नि०वि० का पत्रांक–4140 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
मुंगेर	मुंगेर	28	जमालपुर–धरहरा कजरा पथ के फुलका से बसौनी तक पथ।	14.260	प०नि०वि० का पत्रांक–4231 (E) अनु०, दि० 15.09.14	
गया	शेरघाटी	29	(i) इमामगंज से चन्द्री तक भाया–रानीगंज, बंशी नाला पथ।	9.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4139 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
		30	(ii) इमामगंज– कोठी–पकरी तक भाया सलैया कोठी पथ।	24.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4138 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
		31	(iii) डुमरिया से बेलाघाट (झारखण्ड की सीमा) तक भाया काचर पथ।	9.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4137 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
मधुबनी	मधुबनी	32	(i) रामपट्टी कोयलख– निर्भापुर –संतनगर–रामखेतारी पथ	13.200	प०नि०वि० का पत्रांक–4136 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
		33	(ii) पैटघाट–बिरौल–निर्भापुर –गंगद्वार–भगवानपुर पथ	26.000	प०नि०वि० का पत्रांक–4135 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
भागलपुर	भागलपुर	34	नौगछिया अनुमंडल/प्रखण्ड अन्तर्गत तेतरी एन०एच०–31 हरिजन टोला से दुर्गा स्थान तेतरी चौक तक पथ।	1.600	प०नि०वि० का पत्रांक–4262 (E) अनु०, दि० 16.09.14	
सीवान	सीवान	35	बदलीमोड़–हथुआ अगौता पथ के बदली मोड़ से अँगौता पथ।	5.600	प०नि०वि० का पत्रांक–4229 (E) अनु०, दि० 15.09.14	
गोपालगंज	गोपालगंज	36	बदलीमोड़–हथुआ अगौता पथ के अँगौता से हथुआ पथ।	6.500		

जिला	संबंधित प्रमंडल का नाम	क्र० सं०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी०) लगभग	दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रासंगिक पत्र	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
गोपालगंज	गोपालगंज	37	प्यारेपुर आशाखैरा से हमीदपुर राजापट्टी पथ।	11.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4265 (E) अनु०, दि० 16.09.14	
बेतिया	बेतिया	38	रतवल रजवटिया होते हुए चखनी चौक NH-28B तक पथ।	1.900	प०नि०वि० का पत्रांक–4271 (E) अनु०, दि० 16.09.14 (RWD/WRD को)	इस मार्गरेखन की कुल लम्बाई 11.9 कि०मी० है। शेष 10.20 कि०मी० हेतु जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है।
मधुबनी	मधुबनी	39	विस्फी (विद्यापति जन्मस्थली) से कमतौल कोठी (SH-75) तक पथ।	6.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4134 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
बेतिया	बेतिया	40	लौरिया (पश्चिम चम्पारण) से सुगौली (पूर्वी चम्पारण) तक पथ।	21.750	प०नि०वि० का पत्रांक–4133 (E) अनु०, दि० 12.09.14	
पटना	पटना सिटी	41	खुशरूपुर–नगरनौसा पथ के पथांश खुखरूपुर से सामना पथ	1.100	प०नि०वि० का पत्रांक–2616 (E) अनु०, दि० 26.06.14	
नवादा	नवादा	42	काशीचक से बरसा होते हुए पकड़ीबरॉवा पथ।	18.200	प०नि०वि० का पत्रांक–4264 (E) अनु०, दि० 16.09.14	
शाहाबाद	शाहाबाद	43	हसन बाजार–जमोढ़ी सरफोरा–भकुरा– परसिया–डिहरा, करथ चिकसिल पथ	15.000	प०नि०वि० का पत्रांक–6870 (E) अनु०, दि० 01.11.13 स्मार पत्र 4267 (E) अनु० दि० 16.09.14	
नवादा	नवादा	44	हिसुआ–खनवा पथ के खनुआ से सिरदला पथ	12.250	प०नि०वि० का पत्रांक–85 (E) अनु०, दि० 08.01.14 स्मार पत्र 4266 (E) अनु० दि० 16.09.14	
बेगुसराय	बेगुसराय	45	उलाव ढाला से थर्मल तक भाया नया टोला कचहरी टोला रचियाही पथ	9.500	प०नि०वि० का पत्रांक–4523 (E) अनु०, दि० 26.09.14	
नालन्दा	बिहारशरीफ	46	चण्डी–थरथरी–परवलपुर–बेन–छबीलापुर	42.300	पथ निर्माण विभाग का पत्रांक–4605 (E) अनु०, दिनांक 29.09. 2014	

2. ग्रामीण कार्य विभाग के उक्त पथों को पथ निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने के विन्दु पर ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–11820 अनु०, दिनांक 26.09.2014 द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। उक्त पत्र के साथ संलग्न सूचि में परिलक्षित त्रुटि का निराकरण करते हुए विभागीय पत्रांक–9574 (S) अनु०, दिनांक 30.09.2014 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को सूचित किया गया है।

3. ग्रामीण कार्य विभाग से विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का प्रभार संबंधित ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन (लम्बाई सहित) तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को समर्पित करेंगें।

4. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

---

9 अक्तूबर 2014

सं० प्र0–8/पथ अधि0–19–17/2011–4753(E)—सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले निम्नलिखित पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जाता है :–

क्र० सं०	जिला	संबंधित पथ प्रमंडल का नाम	पथ का नाम/मार्गरेखन	लम्बाई (कि०मी० में)	प्राप्त अनापत्ति का प्रसंग
1	2	3	4	5	6
1	जहानाबाद	जहानाबाद	बैरागी बाग से वाणावर पथ भाया पिंजौर नवाबगज भैंकमोड़ विष्णुगंज लोदीपुर होते हुए वनावर तक पथ।	28.10	ग्रा0का0वि0 का अधिसूचना सं0 5854 दिनांक 27.05.14
2	पटना	पटना सिटी	एन0एच0–30 के कच्ची दरगाह से गुल महीया बाग, नवाडीह, पुनाडीह, नत्था चक बराठपुर, पटना रक्षा बांध, मरची कोठिया टोला कजल बिगहा होते बैरिया एस0एच0–1 तक।	13.20	ग्रा0का0वि0 का अधिसूचना सं0 10553 दिनांक 01. 09.14
3	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर सं०–1	बनारस बैंक चौक, हाथी चौक, पानी टंकी, अघोरिया बाजार कच्ची पक्की रामचन्द्रा पथ का पथांश कच्ची पक्की से रामचन्द्रा होते हुए तुर्की पथ।	15.70	ग्रा0का0वि0 का अधिसूचना सं0 2193 दिनांक 20.02.14
4	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर सं०–1	माड़ीपुर पावर हाउस चौक से सकरी (एन0एच0–77) तक पथ का पथांश गोबरसही चौक से सकरी (एन0एच0–77) तक पथ।	7.80	ग्रा0का0वि0 का अधिसूचना सं0 2193 दिनांक 20.02.14
5	मधुबनी	मधुबनी	भारत नेपाल सीमा के समानान्तर सड़क परियोजना अन्तर्गत पड़ने वाले मधुबनी जिलान्तर्गत मधवापुर से एल0ओ0–21 (एन0एच0) तक पथांश रामपुर वृत टोला के अंतिम भाग (चैनेज 2.425 कि0मी0) से ब्रहमपुरी ग्राम के प्रारम्भ (चैनेज–4.250 कि0मी0) तक का पथांश।	1.825	ग्रा0का0वि0 का अधिसूचना सं0 3710 दिनांक 01.04.14
6	समस्तीपुर/ दरभंगा	रोसड़ा/ समस्तीपुर	रोसड़ा– शिवाजीनगर– बहेड़ी पथ।	24.045	ग्रा0का0वि0 का अधिसूचना सं0 9555 दिनांक 11.08.14
7	समस्तीपुर	समस्तीपुर	सराय रंजन पतौली से भोजपुर घाट अख्तियारपुर स्कूल महुली रायपुर चौक होते हुए वरूणा राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 103 तक।	10.00	ग्रा0का0वि0 का अधिसूचना सं0 9555 दिनांक 11.08.14

क्र० सं०	जिला	संबंधित पथ प्रमंडल का नाम	पथ का नाम/मार्गरेखन	लम्बाई (कि०मी० में)	प्राप्त अनापत्ति का प्रसंग
1	2	3	4	5	6
8	समस्तीपुर	समस्तीपुर	राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 28 (पगडा) से असीनचक–मनियारपुर– कॉचा– सोठगावाँ– लगमा– मोहद्दीनगर रेलवे स्टेशन– चाँदनी चौक पथ।	27.00	ग्रा0का0वि0 का अधिसूचना सं0 9555 दिनांक 11.08.14
9	नालन्दा	बिहारशरीफ	फतुहाँ सकसोहरा एन0एच0–30एं सडक के नगरनौसा से आर0सी0डी0 सड़क चेरो बहादूरपुर के ग्राम कल्याण बिगहा तक पथ।	21.600	ग्रा0का0वि0 का अधिसूचना सं० 11368 दिनांक 17.09.14 द्वारा NOC प्राप्त।

2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का प्रभार संबंधित विभाग से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को समर्पित करेंगें।

3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

मुख्य अभियन्ता, का कार्यालय
जल संसाधन विभाग, पटना ।

कार्यालय आदेश
24 दिसम्बर 2014

सं० 1/मु०अ०(अनु०)–16–02/2014–3663––श्री पप्पु कुमार सिंह, तृतीय पुत्र स्वर्गीय बच्चु सिंह, दफतरी, रूपांकण प्रमंडल संख्या–1, पटना / ग्राम+पो0–बौरही थाना–धनरूआ, जिला–पटना को जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, नवादा के पत्रांक 2959 स्था0 दिनांक 14.11.2014 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग–घ में नियुक्ति के अनुशंसा के आलोक में वेतन बैंड पी0वी0 1 वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 1800 में तथा समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित कार्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त करते हुए कार्यपालक अभियन्ता, रूपांकण प्रमंडल संख्या–1, पटना में पदस्थापित किया जाता है ।

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है तो इसकी वरीयता उसके बाद होगी।

3. मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व श्री पप्पु कुमार सिंह पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या 13293 दिनांक 5.10.1991 के तहत नियुक्त कर्मचारी से एतत् संबंधी तथा तिलक दहेज नहीं लेने–देने का घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

4. अगर उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा ।

5. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र , प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसकी जॉच एवं समीक्षा कर लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

6. नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना से कराने के पश्चात ही वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

8. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने पर सेवा से विमुक्त किया जा सकता है तथा नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।

9. इन्हें विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेना होगा । इन्हें इसके लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

आदेश से,
हरिनारायण, मुख्य अभियन्ता।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 51—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचनाएं
9 जनवरी 2015

सं0 3 अ0प्र0–1–316/10–110—श्री ध्रुवजी प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, रोहतास सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 द्वारा कार्य प्रमंडल–2, रोहतास के अन्तर्गत अपने पदस्थापन काल में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना एवं अन्य विकास योजनाओं के प्राक्कलन बनाने एवं क्रियान्वयन में काफी शिथिलता, लापरवाही, उदासीनता इत्यादि बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या 5696 सह–पठित ज्ञापांक 5697 दिनांक 29.04.2011 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 465 जि0यो0 दिनांक 16.08.2010 एवं अधीक्षण अभिंयता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम के पत्रांक 01, कैम्प, पटना दिनांक 28.03.2011 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्व आरोप पत्र/पूरक आरोप पत्र प्रपत्र'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के अधीन विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जॉच आयुक्त से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 2178 दिनांक 28.02.2007 में किये गये प्रावधान के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 12955 सह–पठित ज्ञापांक 12956 दिनांक 07.08.2012 द्वारा इन्हें तात्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 1429 अनु0 दिनांक 21.05.2014 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की विभागीय समीक्षोपरान्त श्री ध्रुवजी प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, रोहतास सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 को निम्न दंड अधिरोपित किया जाता हैः–

(i) आरोप वर्ष 2010–11 के लिये निन्दन की सजा, जो आरोप वर्ष 2010–11 को छोड़कर अगले तीन वर्षों यथा– 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 तक प्रभावी होगा।
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

9 जनवरी 2015

सं0 3/अ0प्र0–1–16/14–112—श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सहरसा के पदस्थापन काल में पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत नारायणपुर चौक एन0एच0– 57 झिल्ला–से करजाईन बाजार तक एन0एच0–106 पथ के विभिन्न पथाशों यथाः–नारायणपुर चौक एन0एच0–57– झिल्ला–शाहपुर–पृथ्वीपटटी–छिट्टी–सतन पट्टी–साह टोला–पंडित टोला–जगदीशपुर–करजाईन बाजार, एन0 एच0 106 पथ के कि0मी0 –1 से 7, 8 अशं, 9 अंश, 10 से 13, 14 अंश, 15 अंश, 16 से 21 एवं 22 अंश तक कुल 19.92 किलोमीटर पथांश लम्बाई में क्रॉस ड्रेनेज एवं पथ बचाव कार्य सहित आई0आर0 क्यू0 पी0 कार्य की 2008–09 की निविदा के Financial bid खोलने एवं दरों में हेरा–फेरी करने के आरोपों की उड़नदस्ता प्रमंडल सं0 2 द्वारा जाँचोपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पथ निर्माण विभाग द्वारा सुनवाई की गयी। सुनवाई के दरम्यान इनका कोई defence नहीं पाए जाने के फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या–4756 (एस) दिनांक 15.05.2009 द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र–'क' गठित कर पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 7788 (एस) डब्लू0ई0 दिनांक 15.07.09 द्वारा इनसे बचाव बयान की मांग की गई। श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के आवेदन दिनांक 22.07.09 द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरान्त इसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तत्पश्चात पथ निर्माण विभाग का संकल्प ज्ञापांक–12101 (एस) डब्लू०ई० दिनांक 29.10.09 द्वारा इनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु समर्पित आवेदन दिनांक–27.09.10 के समीक्षोपरान्त पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना संख्या–905 (एस) दिनांक 21.01.11 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त किया गया।

3. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्व गठित आरोप उनसे प्राप्त बचाव बयान एवं अपर विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर दिया गया निष्कर्ष तथा पथ निर्माण विभाग के स्तर पर की गयी समीक्षा निम्नवत हैः–

आरोप संख्या 1– विषयान्तर्गत कार्य हेतु दिनांक 10.01.09 को प्राप्त की जाने वाली निविदा हेतु दिनांक 09.01.09 को संवेदकों से परिमाण विपत्र निर्गत करने से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्र अथवा विक्री से संबंधित मनी रसीद पर आपका हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर नहीं है, जिससे प्रमाणित होता है कि आप या तो कार्यालय मे नही रहते है अथवा रहते भी है तो निविदा अभिलेखों के दायित्व निष्पादन से बचते है। प्रंसगाधीन निविदा हेतु प्रमंडल, कार्यालय द्वारा 3 संवेदकों को बिक्री किये गये परिमाण विपत्र को संबंधित संवेदक अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपलब्ध कराने के साक्ष्य के रूप में परिमाण विपत्र बिक्री पंजी अथवा मनी रसीद पर संवेदक का हस्ताक्षर परिमाण विपत्र भरने का समय अथवा इस हेतु कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो घोर अनियमितता को द्योतक है। अतः निविदा कागजात संवेदकों को निर्गत करने में दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 की कंडिका–3 में कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के संबंध में दिये गये निदेशों के उल्लघंन के लिए आप दोषी प्रतीत होते है।

आरोपित का बचाव बयान– अपने बचाव बयान में आरोपित द्वारा अपना पक्ष रखते हुए उल्लेख किया गया कि दिनांक 09.01.09 एवं 10.01.09 को बाढ़ क्षतिग्रस्त पथ बथनाहा–भीमनगर के स्थल निरीक्षण के क्रम में कार्यालय से बाहर रहने के कारण उक्त कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र के क्रय हेतु प्रमंडल में प्राप्त आवेदनों पर समुचित जॉचोपरान्त विक्रय के आदेश देने हेतु सहायक अभिंयता, श्री योगेन्द्र कुमार को प्राधिकृत किया गया था, ताकि परिमाण विपत्र के विक्रय मूल्य प्राप्त करना एवं भौतिक रूप से विपत्र कागजात को इच्छुक निविदाकार/आवेदकों को रोकडपाल द्वारा उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार प्राधिकृत सहायक अभियंता द्वारा परिमाण विपत्र के क्रय हेतु आवेदन पर दिये गये आदेश एवं मनी रसीद पर प्रतिहस्ताक्षर की प्रासंगिकता नहीं है। आरोपित द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि प्राधिकृत सहायक अभियंता, श्री योगेन्द्र कुमार द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में विक्रय किये गये परिमाण विपत्रों के विक्रय मूल्य के लिए निर्गत मनी रसीद का संज्ञान लेते हुए राशि की प्रविष्टि प्रमंडलीय कैश बुक में लेखापाल द्वारा किये जाने के बाद मेरे द्वारा मूल रूप से हस्ताक्षरित है जो इन दोनों कार्रवाईयों को उनके द्वारा स्वीकार करने का प्रमाणित साक्ष्य है। आरोपित का आगे यह भी कहना है कि प्रमंडल में परिमाण विपत्र पंजी के संधारण का न कोई प्रचलन है और न ही लोक निर्माण विभाग संहिता में ऐसा कोई प्रावधान है। मनी रसीद पर संवेदक के हस्ताक्षर की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि परिमाण विपत्र के मूल्य की प्राप्ति के विरूद्व निविदाकार को ही मनी रसीद दी जाती है, जिसके विरूद्व प्राप्त राशि को कैश बुक में उनके हस्ताक्षर के तहत अंकित किया गया है। परिमाण विपत्र प्राप्त करते समय निविदाकार से किसी तरह की प्राप्ति रसीद लेने का कोई प्रावधान लोक निर्माण विभाग संहिता में नही है और न ही इस तरह का प्रचलन/परम्परा है।

संचालन पदाधिकारी का विश्लेषण– आरोपित द्वारा दिनांक 09.01.2009 एवं दिनांक 10.01.2009 को वर्णित कार्य के लिए क्रमश निविदा विक्रय एवं प्राप्त करने की तिथि निर्धारित थी। इसकी जानकारी रहने के बावजूद आरोपित बाढ क्षतिग्रस्त पथ बथनाहा–भीमनगर के स्थल निरीक्षण का कार्यक्रम बनाकर चले गये और अपने अधीनस्थ सहायक अभिंयता, श्री योगेन्द्र कुमार को इस कार्य हेतु अधिकृत कर दिये। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपित विभिन्न निविदा प्रकियाओं के निष्पादन से संबंधित अपने दायित्वों से बचने का प्रयास हमेशा करते रहे। निविदा कागजातों पर हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर करने से भी बचते रहे। वर्णित कार्य के निविदा निष्पादन की प्रकिया से भी बचने का प्रयास किया और इसी कारण अपने अधीनस्थ सहायक अभिंयता को प्राधिकृत कर दिया। निश्चित रूप से दायित्वों के समुचित निर्वहन नही करने के लिए बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 की कंडिका 3 के आलोक में दोषी प्रतीत होते है। अतः विश्लेषण के आधार पर आरोपित पर गठित आरोप संख्या 1 प्रमाणित होता है।

पथ निर्माण विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तथा संचालन पदाधिकारी के निष्कर्षो से सहमति व्यक्त करते हुए आरोप का प्रमाणित पाया गया।

आरोप संख्या 2–विषयान्तर्गत कार्य के वितीय बीड खोलने के दिन आप मुख्यालय में उपस्थित थे, फिर भी वितीय बिड सहायक अभियंता द्वारा खोला गया है एवं निविदा कागजातों पर आपके द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया है। यह स्पष्ट रूप से आपकी कर्तव्यहीनता तथा निविदा निष्पादन में संदेह एवं अनियमितता में आपकी संलिप्तता को इंगित करता है जिसके लिए आप दोषी प्रतीत होते है।

आरोपित का बचाव बयान–आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि विषयांन्तर्गत कार्य के वितीय बीड खोलने की निर्धारित तिथि 14.02.2009 को हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाने के संबंध मे विभिन्न बाढ़ प्रभावित पथों स्थल निरीक्षण में प्रातः ही निकल गया था, अतएव उनके द्वारा प्राधिकृत सहायक अभियंता द्वारा ही सारी प्रकियाएँ पूरी की गयी।

संचालन पदाधिकारी का विश्लेषण– आरोपित निविदा कागजात बिक्री करने की निर्धारित तिथि 09.01.09 एवं निविदा प्रांप्त करने तथा टेकनिकल बीड खोलने की तिथि 10.01.09 को Field visit का कार्यक्रम बनाकर अपने अधीनस्थ सहायक अभियंता, श्री योगेन्द्र कुमार को क्रमशः निविदा कागजात बिक्री करने एवं निविदा प्राप्त करने हेतु अधिकृत कर दिया। पुनः उन्होंने दिनांक 14.02.09 को इसी कार्य से संबंधित निविदा के वितीय बीड खोलने हेतु भी उक्त सहायक अभियंता को ही अधिकृत कर दिया। दिनांक 15.02.09 को आरोपित द्वारा अधीक्षण अभियंता को लिखे गये पत्र में दिनांक 14.02.2009 को वितीय बीड खोलने के बाद एक संवेदक, मेंo विशाल बिल्टेक द्वारा पक्षपात का लांक्षण लगाने एवं शोर शराबा करने संबंधी घटनाओं की सूचना दी गई है। उक्त पत्र में यह अंकित किया गया है कि उनके कार्यालय कक्ष में वितीय बीड खुलने के एक घंटा बाद यह घटना घटित हुई, जब वे कार्यालय में उपस्थित थे। इस तथ्य से इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपित उक्त तिथि को मुख्यालय में रहते हुए निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मामलों को निष्पादन की जिम्मेदारी से बचते हुए सहायक अभियंता को दायित्व सौंप दिया। बाद में निविदा कागजातों के अवलोकनोपरान्त न तो निविदा कागजातों पर हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर किया और न ही कागजात के अवलोकनोपरान्त गडबडियाँ अंकित की, जबकि उड़नदस्ता प्रमंडल–2 द्वारा जॉच के क्रम में वितीय बीड के पन्ने, एक मामले में फोटो कॉपी तथा दूसरे मामले में बदला हुआ पाया गया है। अतः विश्लेषण के आधार पर कर्तव्यहीनता तथा निविदा निष्पादन में संदेह एवं अनियमितता में उनकी संलिप्तता के लिए आरोपित के विरूद्व गठित आरोप संख्या–2 प्रमाणित होता है।

पथ निर्माण विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तथा संचालन पदाधिकारी के निष्कर्षो से सहमति व्यक्त करते हुए आरोप का प्रमाणित पाया गया।

आरोप संख्या 3–विषयांन्तर्गत निविदा प्राप्ति से संबंधित सूचनायें प्रमंडल द्वारा संधारित निविदा प्राप्ति पंजी के पृ0 14–15 पर दिनांक 10.01.09 को अंकित की गई है, जबकि पंजी के पृ0 16 पर दिनांक 01.01.09 को प्राप्त अन्य निविदा से संबंधित सूचनाये अंकित की गई है, जो दिनांक 10.01.09 के पूर्व की तिथि का है। इस प्रकार निविदा प्राप्ति पंजी में की गई प्रविष्टि संदेहास्पद एवं गंभीर कदाचार का द्योतक है जिसके लिए आप दोषी प्रतीत होते है।

आरोपित का बचाव बयान–आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि दिनांक 10.07.09 को उनके द्वारा प्राधिकृत श्री योगेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता द्वारा निविदा प्राप्त की गई, जिनके द्वारा पृ0 13 के बाद 14–15 पृष्ठ पर प्रविष्टि की गई। भूलवश पृ0 14 एवं 15 से सटे रहने के कारण पृ0 13 के बाद पृ0 16 पर दिनांक 03.01.2009 को प्राप्त निविदाओं की प्रविष्टि कर दी गई। निविदा पंजी में भूलवश हुई उक्त विसंगति की जानकारी प्राप्त होने पर प्राक्कलक से पूछताछ की गयी। दिनांक 10.01.09 को 03.01.09 की तिथि में पृ0 16 पर की गई प्रविष्टि की ओर ध्यान नही जाने के कारण विसंगति हो गई जिसमें किसी की गलत मंशा नहीं है।

संचालन पदाधिकारी का विश्लेषण– आरोप संख्या–1 एवं 2 के संबंध में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपित अधिकांशः निविदा प्रकिया के कार्यो की जिम्मेदारी से बचते रहे। विभागीय मंतव्य मे भी कहा गया है कि जब भूलवश पृ0 14 एवं 15 के सटे रहने के कारण पृ0 13 के बाद 16 पर दिनांक 03.01.09 को प्राप्त निविदाओं को प्रविष्टि कर दी गई तो ऐसी स्थिति में पृ0 14 एवं 15 को रद्द कर देना चाहिए था, जबकि ऐसा नही किया गया और न ही दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्व कार्रवाई की गई। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि निविदा रजिस्टर में विभिन्न तिथियों को आरोपित द्वारा प्राधिकृत अभियंता/पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। रजिस्टर का पृ0 16 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 03.01.2009 की तिथि में वास्ते कार्यपालक अभियंता किसी अन्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। रजिस्टर के पृ0 13 पर काफी जगह खाली है जहॉ से दिनांक 03.01.2009 के निविदाओं से संबंधित सूचनाये अंकित की जाती तो इस तरह की गलतियां संभव नही होती किन्तु यह कार्रवाई बैकडेटिंग की ओर इंगित करता है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश निविदा कागजातों पर कार्यपालक अभियंता के स्थान पर किसी अन्य अभियंता या पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर अंकित है और ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपित के कार्यकाल में उक्त प्रमंडल का कार्य राम भरोसे चल रहा था। अतः निविदा प्राप्ति पंजी में की गयी प्रविष्टि संदेहास्पद है और इसके लिए अन्य पदाधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ प्रमंडल कार्यालय के प्रधान के हैसियत से आरोपित समान रूप से दोषी प्रतीत होते है। अतः विश्लेषण एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर आरोपित के विरूद्व गठित आरोप संख्या–3 प्रमाणित होता है।

पथ निर्माण विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तथा संचालन पदाधिकारी के निष्कर्षो से सहमति व्यक्त करते हुए आरोप का प्रमाणित पाया गया।

आरोप संख्या 4– विषयान्तर्गत कार्य हेतु प्रमंडल कार्यालय, सुपौल में प्राप्त मेo घनश्याम लाल के वितीय बीड का अंकित पृo (दर वाला पृo) से संबंधित है, जॉचोपरान्त इस कार्य के अन्य निविदादाताओ के सदृश वितीय बीड के उक्त पृष्ठ नहीं पाये गये है, जिससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि मेo घनश्याम लाल के वितीय बीड के दर वाले पृष्ठ को बदलकर

लगाया गया है। इस प्रकार निविदा कागजात में हेरा–फेरी का निविदा प्रक्रिया को गंभीर रूप से दूषित करते हुए संवेदक विशेष को गलत मंशा से अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए आप दोषी प्रतीत होते है।

आरोपित का बचाव बयान– आरोपित ने अपने बचाव में कहा है कि दिनांक 14.02.2009 को तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों में मे0 घनश्याम लाल एवं मेसर्स विशाल विलटेक इडिंया प्रा0 लि0 के वितीय बीड को उनके द्वारा प्राधिकृत सहायक अभियंता, योगेन्द्र कुमार द्वारा खोला गया। वितीय बीड खोले जाने के थोडी ही देर बाद वे मुख्यालय लौटे तो मेसर्स विशाल बिल्टेक के प्रतिनिधि श्री कार्तिक सिंह द्वारा श्री योगेन्द्र कुमार के विरूद्व दोषारोपण किया गया कि मेसर्स घनश्याम लाल के वितीय बीड वाले पृष्ठ को बदल दिया गया है। तत्काल उनके द्वारा छानबीन की गयी लेकिन मेसर्स विशाल बिलटेक द्वारा किया गया दोषारोपण पूर्णतः निराधार एवं मनगढ़ंत पाया गया। दर वाले पृष्ठ के टाइपिग के अन्तर के आधार पर हेराफेरी का निष्कर्ष युक्तिसंगत नहीं है। अतिशीध्रता में परिमाण विपत्र तैयार करने में एक ही परिमाण विपत्र के भिन्न–भिन्न पृष्टों को भिन्न–भिन्न कम्प्यूटरों पर टाईप करा दी जाती है। इसके बाद भिन्न–भिन्न कम्प्यूटरों पर तैयार किये गये पृष्ठों को सिलसिलेबार लगाकर परिमाण विपत्र तैयार कर लिये जाते है। इस प्रकार परिमाण विपत्र के एक ही पृष्ठ के भिन्न–भिन्न कम्प्यूटर में तैयार होने के कारण ऐसा हो जाता है।

संचालन पदाधिकारी का विश्लेषण– उड़नदस्ता प्रमंडल सं0 2 के जॉच प्रतिवेदन के साथ संलग्न चारो निविदादाताओं के मूल/द्वितीय वितीय बीड से संबंधित सूचना एवं ऑब्जर्वेशन के कुल 5 पृष्ठों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मे0 के0 डी0 कम्पनी, सुपौल, मे0 एस0सी0बी0सी0सी0(जे0भी0) फारबिसगंज, अररिया मे0 विशाल बिल्टेक (ई0) प्रा0 लि0, पटना में मूल वितीय बीड के पॉचवा एवं अन्तिम पृष्ठ के उपर (7) अंकित है एवं नीचे बॉये कोने पर E/SCONSCON.doc अंकित है जबकि मे0 घनश्याम लाल के मूल वितीय बीड के पॉचवा एवं अन्तिम पृष्ठ के उपर (7) अंकित नही है, परन्तु स्याही से एक MARK अंकित है तथा नीचे बायें कोने पर E:/Mahesh/B.O.Q/RATE/QUOTED.doc अंकित है। बीड के सभी छह पृष्ठों पर कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर स्याही से है। मेसर्स घनश्याम लाल के वितीय बीड का दर वाला पृष्ठ अलग कम्प्यूटर पर टंकित है और उसपर कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर भी है, जिससे स्पष्ट है कि मेसर्स घनश्याम लाल के वितीय बीड वाले पृष्ठ को आरोपित एवं अन्य पदाधिकारियों, कर्मचारियों की सॉठ गॉठ से बदला गया है। अभिलेखों के ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपित की जानकारी में मेसर्स घनश्याम लाल के वितीय बीड के दर वाले पृष्ठ को बदल कर निविदा कागजात में हेराफेरी करके निविदा प्रक्रिया को गंभीर रूप से दूषित किया गया है तथा संवेदक विशेष को गलत मंशा से अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए वे समान रूप से दोषी प्रतीत होते है। अतः विश्लेषण के आधार पर आरोपित के विरूद्ध गठित आरोप संख्या 4 प्रमाणित होता है।

पथ निर्माण विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तथा संचालन पदाधिकारी के निष्कर्षो से सहमति व्यक्त करते हुए आरोप का प्रमाणित पाया गया।

4. इस प्रकार श्री सिन्हा के विरूद्व गठित कुल चार आरोपों में से सभी आरोपों को प्रमाणित पाए जाने के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–11991 (एस) डब्लू०ई० दिनांक 14.11.12 द्वारा आरोपी श्री प्रमोद कुमार सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। उक्त क्रम में श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–874 दिनांक 26.11.12 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर पर पथ निर्माण विभाग की तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया। पथ निर्माण विभाग की तकनीकी समिति द्वारा श्री सिन्हा से प्राप्त बचाव–बयान को मान्य नही पाया गया एवं चारों आरोपों में तकनीकी समिति द्वारा श्री सिन्हा के दोषी होने की अनुशंसा की गयी। तत्पश्चात श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल के विरूद्व वृहत दंड के रूप में सहायक अभियंता के पद पर अवनति करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

5. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 5504 (एस) दिनांक 09.07.2013 द्वारा उक्त दंड के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किया गया। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 7828/लो0से0आ0 दिनांक 25.11.2013 द्वारा श्री सिन्हा के संबंध में दंड स्वरूप कार्यपालक अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदावनत करने संबंधी पथ निर्माण विभाग द्वारा गठित प्रस्ताव में असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तावित दंड को अनुपातिक नहीं माना गया।

6. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 9917(एस) दिनांक 26.12.2013 द्वारा अभियंताओं के कैडर विभाजन के फलस्वरूप ग्रामीण कार्य विभाग के संवर्ग के अभियंताओं के विरूद्व आरोप से संबंधित कार्रवाई ग्रामीण कार्य विभाग के स्तर से ही संचालित करने हेतु संबंधित कागजात मूल रूप/छाया प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस विभाग को प्राप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विषयगत दंड पर व्यक्त की गयी असहमति के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदान किये गये परामर्श का उद्धरण निम्न प्रकार से हैः–

"320(3) The Union Public Service Commission or the State Public Service Commission, as the case may be, shall be consulted--------(c) on all disciplinary matters affecting a person serving under the Government of India or the Government of a State in a civil capacity, including memorials or petitions relating to such matters."

''एतद्विषयक विभागीय परिपत्र सं0 2609 दिनांक 13.09.06 द्वारा परिचारित मार्गदर्शन में निदेश दिया गया है कि संविधान के उक्त अनुच्छेद के अनुसार अनुशासनिक मामलों में प्रस्तावित दंडो पर अंतिम निर्णय लेने

के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किये जाने और प्राप्त परामर्श पर विचार किये जाने की अनिवार्यता है।

उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित दंड पर अंतिम निर्णय लिये जाने से पूर्व आयोग से परामर्श प्राप्त करने और प्राप्त परामर्श पर विचार करने की अनिवार्यता है। परंतु प्राप्त परामर्श मानना अनिवार्य है ऐसा प्रावधानित नहीं है। यदि प्रशासी विभाग आयोग के परामर्श से सहमत नहीं है तो असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए सकारण दंडादेश पारित करने पर विचार कर सकता है।''

7. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में विभाग के स्तर पर मुख्य अभियंता–4 की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। समिति द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि कार्यपालक अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदावनति का दंड समानुपातिक है।

8. तत्पश्चात विभागीय ज्ञापांक 2579 दिनांक 06.08.2014 द्वारा श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को सहायक अभियंता के पद पर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु संलेख मंत्रिपरिषद को प्रेषित किया गया।

9. मंत्रिपरिषद की दिनांक 12.08.2014 को आहूत बैठक में मामले से संबंधित कुछ बिन्दुओं पर पुनः विचार करने हेतु संलेख वापस ले लिया गया ।

10. पुनः विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि मामले से संबंधित अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध गठित एक आरोप को अपर विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया एवं सहायक अभियंता के विरूद्ध गठित कुल चार आरोपों में से अपर विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा मात्र आरोप संख्या 4 को प्रमाणित पाया गया, जबकि श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभिंयता के विरूद्व गठित चार आरोपों में से सभी आरोपों को अपर विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा प्रमाणित पाया गया। पथ निर्माण विभाग द्वारा अधीक्षण अभियंता एवं सहायक अभियंता के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्वि रोकने का दंड अधिरोपित किया गया।

11. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभिंयता के विरूद्व प्रस्तावित दंड, जिसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 12.08.2014 की बैठक में इस मामले में उठाये गये बिन्दुओं की समीक्षा एवं पुनर्समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री सिन्हा के विरूद्व प्रमाणित आरोपों के आलोक में वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रभाव डालने वाली शास्तियों में अधिरोपित पदावनति का दंड समानुपातिक है।

12. तत्पश्चात विभागीय ज्ञापांक 4724 दिनांक 23.12.2014 द्वारा श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को सहायक अभियंता के पद पर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए स्वीकृति प्रदान करने हेतु संलेख मंत्रिपरिषद को प्रेषित किया गया।

13. मंत्रिपरिषद की दिनांक 23.12.2014 को आहूत बैठक में उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

14. अतः उक्त आलोक में श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सहरसा को प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियमावली 2005 के नियम 14(vii) एवं बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) के नियमावली 2007 के कंडिका 14(viii) के तहत सहायक अभियंता के पद पर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

15. श्री सिन्हा की जन्म तिथि 15.08.1959 तथा सेवानिवृति की तिथि 31.08.2019 है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी, कैमूर (भभुआ)

(सामान्य शाखा)

आदेश

5 जुलाई 2014

सं० 04/2014–15––पुलिस अधीक्षक, कैमूर के ज्ञापांक 3726 दिनांक 20.10.2011 द्वारा श्री शिवाधार यादव, चौकीदार, सर्किल नं0–1/3, दुर्गावती अंचल/थाना (प्रतिनियुक्त दुर्गावती अंचल) के विरूद्ध सरकारी कार्यो का निष्पादन नही करने, हमेशा नशे की हालत में रहने, शरारती तत्वो से संबंध रखने एवं अंचलाधिकारी, दुर्गावती के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

निलंबन एवं संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति ।–उक्त आरोप के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1482/सा0, दिनांक 11.11.2011 द्वारा श्री शिवाधार यादव, चौकीदार, सर्किल नं0–1/3, दुर्गावती अंचल/थाना (प्रतिनियुक्त दुर्गावती अंचल) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं

अपील) नियमावली के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुमण्डल कार्यालय,मोहनियॉ मुख्यालय निर्धारित किया गया, तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनियां को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रपत्र ''क'' में आरोप पत्र की मांग।—उक्त अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक—1482/सा0, दिनांक 11.11.2011 द्वारा पुलिस अधीक्षक, कैमूर से आरोप गठित कर प्रपत्र 'क' की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक कैमूर के पत्रांक 1890/गो0, दिनांक 01.06.2013 द्वारा थानाध्यक्ष दुर्गावती के पत्रांक 554 दिनांक 29.05.2013 द्वारा गठित आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

प्राप्त प्रपत्र 'क' को अनुमोदित करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 941 दिनांक 15.06.2013 द्वारा संचालन पदाधिकारी—सह—अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां को विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु भेजा गया।

प्रपत्र ''क'' में गठित आरोप ।—आरोप—आरोपित श्री शिवाधार यादव, चौकीदार को अंचल कार्यालय दुर्गावती में ड्यूटी हेतु प्रतिनियुक्ति की गई थी, लेकिन श्री शिवाधार यादव कार्यालय अवधि में नशे की हालत में रहते थे एवं सरकारी कार्यो का निपटारा नही करते थे तथा शरारती तत्वों के साथ मिलकर अंचलाधिकारी, दुर्गावती के साथ अभद्र व्यवहार किये।

उपस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति ।—संचालन पदाधिकारी—सह—अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनियां के पत्रांक 1634/स्था0, दिनांक 27.07.2013 द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी के नियुक्ति की जानकारी मांगी गई। इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1286/सा0, दिनांक 21.08.2013 द्वारा अंचलाधिकारी, दुर्गावती को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आरोपी से संचालन पदाधिकारी द्वारा कारणपृच्छा की मांग ।—आरोपी श्री शिवाधार यादव निलंबित चौकीदार से कारणपृच्छा की मांग की गई। आरोपी द्वारा दिनांक 18.09.2013 को कारणपृच्छा प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा अपने कारणपृच्छा में लगाये गये आरोप को बिल्कुल ही असत्य/गलत/बनावटी बताया गया, जो स्वीकार योग्य नही है।

आरोपी से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग ।—संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के पश्चात् श्री शिवाधार यादव निलंबित चौकीदार के विरूद्ध गठित आरोपो को प्रमाणित पाते हुए अपनी अनुशंसा एवं मतंव्य के साथ प्रतिवेदन दिया है जो स्वीकार करने योग्य है। संचालन पदाधिकारी के प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित चौकीदार, से इस कार्यालय के ज्ञापांक 1743/सा0, दिनांक 07.12.2013 द्वारा प्रमाणित आरोपो के बिन्दु पर द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई, लेकिन श्री शिवाधार यादव द्वारा निर्धारित तिथि तक द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित नही करने के कारण पुनः इस कार्यालय के ज्ञापांक 349/सा0, दिनांक 07.03.2014 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अन्तिम मौका दिनांक 18.03.2014 तक दिया गया, तत्पश्चात् श्री शिवाधार यादव द्वारा 18.03.2014 को द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित किया गया।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं प्रतिवेदन ।—अंचलाधिकारी—सह—उपस्थापन पदाधिकारी के पत्र सं0 1087 दिनांक 09.10.13 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री शिवाधार यादव, निलंबित चौकीदार अक्सर कार्यालय अवधि में मादक पदार्थो का सेवन करते थे। श्री शिवाधार यादव, निलंबित चौकीदार पर लगाया गया आरोप बिल्कुल ही सत्य है। इसप्रकार कार्यालय अवधि में मादक पदार्थो का सेवन करना श्री शिवाधार यादव, निलंबित चौकीदार के अनुशासनहीनता कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदण्डता को परिलक्षित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

संचालन पदाधिकारी का मतंव्य / प्रतिवेदन ।—संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही संचालन के पश्चात् अपने पत्र सं0 2369 /स्था0, दिनांक 26.10.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है। जॉच प्रतिवेदन में श्री शिवाधार यादव, निलंबित चौकीदार के विरूद्ध गठित/लगाये गये आरोप प्रमाणित पाया गया है।

विवेचन ।—उपरोक्त सभी कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री शिवाधार यादव, निलंबित चौकीदार कार्यालय अवधि में नशे की हालत में रहने, सरकारी कार्यो का निपटारा नही करने तथा शरारती तत्वों के साथ मिलकर अंचलाधिकारी, दुर्गावती के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप प्रमाणित होता है। द्वितीय कारणपृच्छा ससमय समर्पित नही करने से उनके उदण्डता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान होता है कि श्री शिवाधार यादव, निलंबित चौकीदार, अंचल कार्यालय दुर्गावती के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाये गये। श्री शिवाधार यादव का आचरण सरकारी सेवक के प्रतिकूल है। श्री शिवाधार यादव के विरूद्धं उपर्युक्त नियमावली के नियम 14 अन्तर्गत युक्ति युक्त दण्ड अधिरोपित किये जाने का यथेष्ट आधार है। इनसे पूछे गये कारण पृच्छा का जबाब उपर्युक्त प्रतिवेदन/साक्ष्य के आधार पर स्वीकार करने योग्य नही है।

निष्कर्षः—वर्तमान कार्यवाही के फलाफल के अनुसार आरोपी श्री शिवाधार यादव, निलंबित चौकीदार, अंचल कार्यालय दुर्गावती के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में निहित प्रावधानों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 3 एवं 4 के आलोक में मैं अरविन्द कुमार सिंह, भा0प्र0से0 जिलाधिकारी,कैमूर (भभुआ) श्री शिवधार यादव, निलंबित चौकीदार, अंचल कार्यालय दुर्गावती, को आदेश निर्गत की तिथि से बिहार पेंशन नियमावली 46 (क) के तहत् दण्डस्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत करता हूँ।

श्री शिवधार यादव से संबंधित विवरण निम्नवत हैः—

1. सरकारी सेवक का नामः— श्री शिवाधार यादव
2. पिता का नाम— श्री जंगी सिंह यादव
3. स्थायी पता— ग्राम—डहला, पो0+थाना —दुर्गावती, जिला—कैमूर
4. जन्म तिथि— 10.11.1963
5. पदनाम— चौकीदार
6. कार्यालय का नाम— अंचल कार्यालय, दुर्गावती
7. नियुक्ति की तिथि— 31.08.1996

आदेश से,
अरविन्द कुमार सिंह,भा0प्र0से0,
जिलाधिकारी, कैमूर (भभुआ)।

गृह विभाग

अधिसूचनाएं
24 फरवरी 2015

सं० कारा/नि०को०(क०)41/12–1207—श्री विश्वनाथ प्रसाद, काराधीक्षक (सम्प्रति–सेवानिवृत्त) के विरूद्ध शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में पदस्थापन काल के आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में अंतर्निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4692 दिनांक 16.10.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए संयुक्त जाँच आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त पद रिक्त रहने के कारण विभागीय ज्ञापांक 3434 दिनांक 08.07.2013 द्वारा संयुक्त जाँच आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुफ्फरपुर के स्थान पर संदर्भित विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को नामित किया गया। विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा विभागीय कार्यवाही की सुनवाई हेतु अपर विभागीय जाँच आयुक्त को दिनांक 31.07.2013 को हस्तान्तरित कर दी गई।

2. श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रपत्र–''क'' में कुल 04 (चार) आरोप गठित किये गये थे, जो सारतः निम्नवत हैः–

i. *दिनांक 14.05.2012 को शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के बंदी गौरव कुमार उर्फ बंटी द्वारा कोर्ट हाजत में आत्मदाह का प्रयास किये जाने की घटना की जांच संबंधी अपर समाहर्त्ता , मुजफ्फरपुर के जांच प्रतिवेदन एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पत्रांक 1180 दिनांक 16.05.2012 के आलोक में, कारा प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करने से मजबूर होकर उक्त बंदी द्वारा आत्मदाह का प्रयास करने, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में कैदियों को कोर्ट ले जाने के क्रम में या वापस लाने के दौरान समुचित ढंग से जाँच–पड़ताल नहीं किए जाने के कारण उक्त बंदी द्वारा ज्वलनशील पदार्थ एवं खाद्यपदार्थ ले जाने अथवा मंगवाने में सफल होने और अप्रत्याशित घटना को अंजाम देने की घटना में श्री प्रसाद पर कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता बरतने तथा अवैध कार्यों को प्रोत्साहित किये जाने का आरोप गठित किया गया है।*

ii. *तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर द्वारा ज्ञापांक 256 दिनांक 16.01.2008 से सेवा से बर्खास्त कक्षपाल श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह को श्री प्रसाद के आदेश ज्ञापांक 2818 दिनांक 31.07.2011 द्वारा पुनः सेवा में पूर्णतः अवैध तथा अनियमित नियुक्ति की गई क्योंकि एक अधीक्षक द्वारा बर्खास्त किये जाने के पश्चात् दूसरे अधीक्षक को उस बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार बिना कारा महानिरीक्षक की स्वीकृति प्राप्त किये पूर्व की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने तथा कर्तव्य पर योगदान करने की स्वीकृति दिये जाने के लिए श्री प्रसाद के विरूद्ध स्वेच्छाचारिता तथा नियम विरूद्ध कार्य करने का आरोप गठित है।*

iii. *आरोपित पदाधिकारी पर वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के फरवरी 12 तक पूरे राज्य में सर्वाधिक (150 से भी अधिक) ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से निकासी किए जाने का आरोप है जबकि ए0सी0 विपत्रों पर निकासी नहीं करने हेतु समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निदेश दिया जाता रहा है; और समय पर इसके समायोजन हेतु डी0सी0 विपत्र भी नहीं भेजा गया, कई बार निदेश दिये जाने के पश्चात एवं कारा निरीक्षणालय के पत्रांक 1984 दिनांक 10.05.2012 द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने के पश्चात् भेजा गया जो श्री प्रसाद की स्वेच्छाचारिता, नियमों का उल्लंघन तथा अनुशासनहीनता का द्योतक है।*

iv. *श्री चन्द्रदीप पासवान सेवानिवृत्त कक्षपाल के सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि के अंतिम निकासी में अनेक निदेश के बाद भी विलम्ब करने तथा लापरवाही बरतने एवं लिपिक के स्थान पर कार्य कर रहे कक्षपाल श्री शशि शक्ति द्वारा नाजायज राशि की मांग किये जाने से संबंधित आरोप है।*

3. उपरोक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विहित प्रक्रियान्तर्गत संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अपना अधिगम समर्पित किया गया, जो सारतः निम्नवत हैः–

i. आरोपित पदाधिकारी ने कारा हस्तक तथा पुलिस मैनुअल के उल्लिखित संगत नियमों का हवाला देते हुए कहा कि विचाराधीन बंदियों को जेल से कोर्ट ले जाकर उपस्थापित करने का दायित्व कोर्ट हाजत जमादार, जेल एवं पुलिस स्कार्ट का है। प्रासंगिक तिथि को जेल से 84 बंदियों को कोर्ट हाजत जमादार ने तलाशी कर प्राप्त किया था। दूसरी ओर प्रशासी विभाग द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रासंगिक बंदी का कथन है कि वे जेल से ही पॉलिथिन के पैकेट में किरासन तेल एवं माचिस छिपाकर लाये थे। इसके अलावा प्रशासी विभाग ने अपर समाहर्त्ता के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष का जिक्र किया है कि विचाराधीन बंदी को जेल से कोर्ट परिसर ले जाने एवं वापस ले आने के क्रम में समुचित ढंग से जांच पड़ताल नहीं किये जाने तथा सदृश स्थिति कोर्ट हाजत की होने की संभावना बताया, इसी कारण से प्रासंगिक बन्दी द्वारा ज्वलनशील पदार्थ एवं खाद्य पदार्थ ले जाने अथवा मंगवाने में सफल होकर इस अप्रत्याशित घटना को अंजाम दिया गया। कोर्ट हाजत प्रभारी, हवलदार एवं सिपाहियों के स्तर पर भी लापरवाही बरती गयी है। प्रशासी प्राधिकार द्वारा भी कहा गया है कि विचाराधीन बंदियों के प्रासंगिक तलाशी में काराधीक्षक की कोई प्रत्यक्ष भूमिका तो नहीं होती है, फिर भी जेल परिसर में सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों द्वारा कारा हस्तक के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का दायित्व काराधीक्षक पर भी है। समर्पित

प्रतिवेदनों एवं प्रासंगिक बन्दी गौरव कुमार को छोड़कर अन्य बंदियों के बयान प्रतिवेदन से स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है कि प्रासंगिक बन्दी निषिद्ध सामग्रियों को जेल परिसर से साथ ले गये या उन्होंने कोर्ट हाजत में निषिद्ध सामग्री एवं खाद्य पदार्थ को प्राप्त किया। जिला पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में बंदियों से लिए गए बयानों में विरोधाभास है और जांच पदाधिकारी ने भी कोई स्पष्ट मंतव्य नहीं दिया है कि विचाराधीन बन्दी ने निषिद्ध सामग्री किस प्रकार प्राप्त की। परन्तु यह स्पष्ट है कि विचाराधीन बन्दी गौरव कुमार ने निषिद्ध सामग्रियाँ प्राप्त की और उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। जांच प्रतिवेदन में अंकित बंदियों के बयान तथा कोर्ट हाजत के जमादार एवं अन्य सिपाही के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कोर्ट हाजत में बंदियों की सुरक्षा एवं कोर्ट हाजत में ले जाने के पूर्व ठीक ढंग से जांच पड़ताल नहीं किए जाने के कारण ऐसी घटना घटी। यह भी सम्भव है कि जेल परिसर से कोर्ट हाजत ले जाते समय भी बंदियों की तलाशी ठीक ढंग से नहीं ली गई होगी। (पृ0 789/प0)

दूसरा बिन्दु– ***जेल परिसर में विचाराधीन बन्दी गौरव कुमार को प्रताड़ित करने से संबंधित है।*** इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि जेल परिसर में गौरव कुमार के साथ जेल प्रशासन द्वारा किसी तरह की प्रताड़ना एवं यौनाचार का प्रयास नहीं किये गये हैं। जेल के वार्डों में विभिन्न कैदियों तथा जेल चिकित्सकों से भी पूछताछ की गई थी और उन सभी के द्वारा जेल परिसर में किये गये प्रताड़ना से अनभिज्ञता जाहिर की गई। केवल अशोक कुमार वियोगी द्वारा प्रताड़ना का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि गौरव कुमार के विरूद्ध प्रताड़ना संबंधी सभी तथ्य उन्होंने खुद उन्हें बतलाया है। उल्लेखनीय है कि श्री अशोक कुमार वियोगी एवं गौरव कुमार तीन अलग–अलग कांडों में सह–अभियुक्त है। अतः इनके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जांच प्रतिवेदन में बंदियों तथा जेल प्रशासन के पदाधिकारियों, चिकित्सा पदाधिकारियों के बयान में विरोधाभास है। अतः प्रताड़ना से संबंधित बिन्दु पर निष्कर्ष निकालना मुश्किल है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि वर्णित तथ्यों एवं विश्लेषणों से आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रत्यक्ष रूप से दोष प्रमाणित नहीं होता है, परन्तु इस तरह की घटना के लिए काराधीक्षक कुछ हद तक जिम्मेवार जरूर है और कुछ हद तक वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हैं।

ii. आरोपित का कहना है कि निदेशक (प्र0) गृह (कारा) विभाग के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 1019/2011 में पारित आदेश के आलोक में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, सेवा मुक्त कारापाल के अभ्यावेदन पर सुनवाई कर तार्किक आदेश पारित करने का निदेश दिया गया, तदनुसार जांच की पूरी प्रक्रिया अपना कर तार्किक आदेश पारित कर उनको सेवा में योगदान करने का आदेश पारित किया गया और योगदान देने के बाद योगदान स्वीकार किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि निदेशक प्रशासन के पत्रांक 3069 दिनांक 12.07.2011 के आलोक में आदेश ज्ञापांक 2818 दिनांक 31.07.2011 की प्रति निदेशक (प्रशासन) गृह (कारा) विभाग को दी गई और दिनांक 02.08.2011 को सेवा मुक्त कक्षपाल श्री सिंह के द्वारा योगदान समर्पित करने पर उनके योगदान को स्वीकृत कर लिया।

उक्त के संदर्भ में प्रशासी विभाग का कहना है कि वर्ष 2008 से ही कक्षपालों के नियुक्ति प्राधिकार केन्द्रीय कारा अधीक्षक के स्थान पर कारा महानिरीक्षक हैं और इसके बावजूद आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से अनियमित तरीके से सेवा मुक्त कक्षपाल की नियुक्ति कर ली गई और योगदान स्वीकार कर लिया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 1019/2011 में पारित आदेश के आलोक में तार्किक आदेश पारित करने तक आरोपित पदाधिकारी का कोई दोष नहीं है, परन्तु सेवा में पुनः नियुक्त करने एवं योगदान स्वीकार करने से संबंधित कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय काराधीक्षक सक्षम प्राधिकार नहीं थे। इस तरह के कार्रवाई करने के पूर्व उन्हें कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना से अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। ऐसा निदेश भी उन्हें पत्रांक 3069 दिनांक 12.07.2011 द्वारा दिया गया था। परन्तु आरोपित पदाधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

iii. आरोपित पदाधिकारी ने सर्वप्रथम इस आरोप पत्र के साथ साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने तथा पूरे राज्य में ए0सी0 बिल के माध्यम से राशि की निकासी किये जाने की सूची नहीं प्रदान करने का जिक्र किया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान में यह अंकित किया गया है कि राज्य के किसी भी काराधीक्षक को डी0सी0 विपत्र विलम्ब से भेजे जाने के लिए न तो स्पष्टीकरण पूछा गया और न तो निलम्बित ही किया गया। अधीक्षक का कार्य 1200 बन्दी एवं करीब इतने ही स्टाफ के भोजन एवं वेतनादि का खर्च वहन करने से संबंधित है। ऐसी स्थिति में कार्य की महत्ता के आलोक में ए0सी0 विपत्र से राशि निकासी की जाती रही है। इसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा पारित भी किया जाता रहा है। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा ए0सी0 विपत्र से निकासी की गई राशि के समायोजन हेतु युद्धस्तर पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। कारा महानिरीक्षक के पत्रांक 1979 दिनांक 10.05.12 के द्वारा 150 ए0सी0 विपत्र लंबित रहने के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। उनके द्वारा उनकी अवधि का 83 डी0सी0 बिल विपत्र एवं उनके पूर्व के अधीक्षक के डी0सी0 विपत्र तैयार पत्रांक 2012 दिनांक 13.05.12 के द्वारा महालेखाकार को भेजते हुए सूचना विभाग को दे दिया गया। फिर भी विभागीय कार्यवाही में इस आरोप को जोड़ दिया गया।

प्रशासी विभाग ने इस संदर्भ में अंकित किया है कि बिहार कोषागार संहित के नियम 300 का पालन किया जाता तो ए0सी0 विपत्र के माध्यम से राशि की निकासी की आवश्यकता नहीं पड़ती।

संचालन पदाधिकारी द्वारा तथ्यों का विश्लेषण करते हुए अंकित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा 83 ए0सी0 विपत्र के माध्यम से राशि की निकासी की और उनसे समय पर डी0सी0 विपत्र नहीं समर्पित करने के लिए जब स्पष्टीकरण पूछा गया तब उन्होंने अपनी अवधि के 83 ए0सी0 विपत्र एवं अपने पूर्व के अधीक्षक के 67 ए0सी0 विपत्रों के समायोजन हेतु डी0सी0 विपत्र 13.05.12 को भेज दिया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा विभाग के निदेश का अनुपालन दिनांक 13.05.12 को कर देने के परिप्रेक्ष्य में इसे इस विभागीय कार्यवाही के संकल्प, जो दिनांक 16.10.2012 को निर्गत किया है, में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए था।

iv. आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि जमुई मंडल कारा से सामान्य भविष्य में की गई राशि की कटौती विवरणी प्राप्त नहीं होने के कारण इस राशि की अंतिम निकासी नहीं की जा सकी थी। व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने पर पता चला कि दिनांक 29.11.2011 को कटौती विवरणी निबंधित डाक से भेज दी गई है। परन्तु कथित पत्र न तो कारा को प्राप्त हुआ और न तो वापस ही लौटी। तहकीकात करने पर पता चला कि दिनांक 01.12.2011 से 15.12.2011 तक कोई निबंधित डाक जमुई कारा से मुजफ्फरपुर कारा को नहीं भेजा गया है। तत्पश्चात तत्संबंधी विवरणी मंगाकर प्राधिकार पत्र निर्गत करवाया और दिनांक 06.09.2012 को राशि का भुगतान कक्षपाल को कर दिया गया। इसकी सूचना दिनांक 06.09.2012 को कारा महानिरीक्षक को दी गई। श्री पासवान द्वारा दिनांक 29.09.2012 को शपथ–पत्र के माध्यम से कहा गया कि कथित राशि के विलम्ब से भुगतान में काराधीक्षक श्री विश्वनाथ प्रसाद का कोई दोष नहीं है। आरोपित पदाधिकारी का यह भी कहना है कि कक्षपाल शशिशक्ति के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया।

प्रशासी विभाग द्वारा कहा गया है कि जब काराधीक्षक द्वारा कथित राशि का अंतिम भुगतान नहीं किया गया तो इसके लिए श्री पासवान बार–बार काराधीक्षक से मिलते रहे और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा एक आवेदन कारा महानिरीक्षक को दिया गया, जिसकी जांच श्री ओम प्रकाश गुप्ता, निदेशक, प्रोबेशनचर्या, कारा विभाग द्वारा कराई गई। जांच प्रतिवेदन में काराधीक्षक के द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया और मामले के संदर्भ में श्री शशि शक्ति को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि काराधीक्षक द्वारा सभी कार्रवाई दिनांक 24.08.2012 को निदेशक, प्रोबेशनचर्या, कारा विभाग के जांच किये जाने के पश्चात की गई और दिनांक 06.09.2012 तक सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि का भुगतान कक्षपाल श्री चन्द्रदीप पासवान को कर दिया गया। भुगतान के पश्चात आरोपित पदाधिकारी ने कक्षपाल श्री पासवान से अपने पक्ष में शपथ पत्र करवा कर स्वयं को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के पूर्व ही उक्त भुगतान की कार्रवाई पूरी कर ली गई थी।

4. प्रमाणित आरोपों के लिए आरोपित पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक 4846 दिनांक 05.09.2014 के द्वारा उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपनी द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में विभागीय कार्यवाही के संचालन के संबंध में उठाई गई आपत्तियाँ स्वीकार्य करने योग्य नहीं है। आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध दिनांक 14.05.2012 को शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के बंदी गौरव कुमार उर्फ बंटी द्वारा कारा प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करने से मजबूर होकर उक्त बंदी द्वारा आत्मदाह का प्रयास करने, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में कैदियों को कोर्ट ले जाने के क्रम में या वापस लाने के दौरान समुचित ढंग से जाँच–पड़ताल नहीं किए जाने के कारण उक्त बंदी द्वारा ज्वलनशील पदार्थ एवं खाद्यपदार्थ ले जाने अथवा मंगवाने में सफल होने और अप्रत्याशित घटना को अंजाम देने की घटना के लिए आरोपित पदाधिकारी कुछ हद तक जिम्मेवार जरूर हैं और कुछ हद तक वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल मानते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को अंषतः प्रमाणित पाया गया है । इसी प्रकार शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 256 दिनांक 16.01.2008 से सेवा से बर्खास्त कक्षपाल श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह को श्री प्रसाद के आदेश ज्ञापांक 2818 दिनांक 31.07.2011 द्वारा पुनः सेवा में पूर्णतः अवैध तथा अनियमित नियुक्ति को अवैध मानते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित पाया गया है । आरोपित पदाधिकारी पर वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के फरवरी 12 तक पूरे राज्य में सर्वाधिक (150 से भी अधिक) ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से निकासी किए जाने के आरोप को संचालन पदाधिकारी के द्वारा अंशतः प्रमाणित पाया गया है, क्योंकि आरोपित द्वारा डी0सी0 बिल समर्पित करने में विलम्ब किया गया । श्री चन्द्रदीप पासवान, सेवानिवृत्त कक्षपाल के सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि के अंतिम निकासी में अनेक निदेष के बाद भी विलम्ब करने तथा लापरवाही बरतने एवं लिपिक के स्थान पर कार्य कर रहे कक्षपाल, श्री शशि शक्ति द्वारा नाजायज राशि की मांग किये जाने से संबंधित आरोप को भी अंशतः प्रमाणित पाया गया, क्योंकि कार्रवाई विलम्ब से की गई ।

5. कार्यपालिका नियमावली के तहत निलंबनादि आदेश, जिस पर सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री का आदेष प्राप्त था, को निर्गत करने हेतु निदेषक, प्रषासन–सह–संयुक्त सचिव, गृह (कारा), विभाग सक्षम प्राधिकार हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न तिथियों को सुनवाई करते हुए आरोपित पदाधिकारी को बचाव का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है और आरोपों को

साक्ष्यों के आलोक में ही प्रमाणित/अंशतः प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार कारा हस्तक के प्रावधानों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के दायित्व में काराधीक्षक के रुप में श्री प्रसाद प्रत्यक्षतः विफल रहे हैं। स्पष्टतः श्री प्रसाद द्वारा कक्षपाल के नियुक्ति प्राधिकार से इस संबंध में कोई निर्देष या अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया और नियुक्ति प्राधिकार के रुप में अनियमित और अवैध रुप से शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए कक्षपाल की सेवा बहाल की गयी। इसी प्रकार उनके द्वारा न केवल विलंब से अपितु स्पष्टीकरण मांगे जाने पर ही ए०सी० विपत्रों के समायोजन हेतु डी०सी० विपत्र प्रतिवेदन भेजा गया, जिससे उनकी स्वेच्छाचारिता एवं अनुषासनहीनता परिलक्षित होती है। श्री चन्द्रदीप पासवान, सेवानिवृत्त कक्षपाल के सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि के अंतिम निकासी के भुगतान के मामले में भी उनके द्वारा न केवल विलंब किया गया अपितु कारा महानिरीक्षक के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा जांच कराए जाने के बाद भुगतान किया गया जिससे उनकी अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य निष्पादन के प्रति लापरवाही सिद्ध होती है।

6. फलतः विभागीय स्तर पर सम्यक् समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद के पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 10 (दस) वर्षों तक करने का निर्णय लिया गया। पारित दण्ड ससूचन के पूर्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की अपेक्षा की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2738 दिनांक 20.02.2015 के द्वारा प्रस्तावित दण्ड आनुपातिक नहीं है, इस आशय का परामर्श देते हुए विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गई। फलतः मामले की पुनः विभागीय समीक्षा के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूर्व में दण्ड के बिन्दु पर लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विश्वनाथ प्रसाद सेवानिवृत्त, काराधीक्षक को निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया है–

''पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशत) 10 (दस) वर्षों के लिए कटौती का दण्ड।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, **अपर सचिव–सह–**
निदेशक (प्रशासन)।

---

16 फरवरी 2015

सं० के0/कारा/रा0प0–06/2007–1047––श्री दशरथ प्रसाद सिंह, तत्कालीन काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005'' में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत गृह (विशेष) विभाग के अधिसूचना संख्या 9389 दिनांक 23.08.2007 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का एतद्द्वारा निस्तार किया जा रहा है।

2. **श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत् है :–**

(i) दिनांक 15.10.2003 एवं 16.10.2003 को तत्कालीन निदेशक (प्रशासन) द्वारा केन्द्रीय कारा गया का किये गये निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि मुलाकाती पूर्जा आप के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी तथा मुलाकाती पंजी भी विगत ढाई माह से अधिक समय से हस्ताक्षरित नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि आपके के द्वारा मुलाकाती पर नियंत्रण नहीं रखा जाता था, जिस कारण मुलाकाती से अवैध राशि की वसुली किये जाने का शिकायत प्राप्त हुआ था।

(ii) दिनांक 15.10.2003 एवं 16.10.2003 को निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं थी। आपके द्वारा दिनांक 14.09.2003 तक की अवधि तक का रोकड़ पंजी को हस्ताक्षरित किया गया था जबकि कारापाल के द्वारा 09.10.2003 तक का रोकड़ पंजी लिखा हुआ था। रोकड़ पंजी को अद्यतन नहीं रखना आपकी कर्तव्योपेक्षा, लापरवाही एवं कारा हस्तक नियम 1291 (4) के उल्लंघन का प्रतीक है।

3. विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पूर्व ही श्री सिंह के दिनांक 31.03.2008 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त गृह (विशेष) विभाग के अधिसूचना संख्या 5894 दिनांक 30.05.2008 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत् परिवर्तित कर दिया गया।

4. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों की जाँच विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी–सह–प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया द्वारा की गई जिनके द्वारा आरोपित के विरूद्ध गठित आरोपों, आरोपित द्वारा दिये गये बचाव बयान तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के आधार पर समर्पित जाँच अधिगम का सार निम्नवत् हैः–

(i) आरोप संख्या–1 के संबंध में संचालन पदाधिकारी का अधिगम है कि आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही उनके स्पष्टीकरण का प्रयुत्तर दिया गया है। वस्तुतः संचालन पदाधिकारी ने आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण का समर्थन ही किया है। साथ ही उल्लेखनीय है कि कारा महानिरीक्षक द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक 1256 दिनांक 22.03.2005 के द्वारा भी आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को समीक्षोपरान्त स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त आलोक में आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह के विरूद्ध आरोप संख्या–1 प्रमाणित नहीं पाया गया है।

(ii) आरोप संख्या–2 के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के अवलोकन एवं विवेचना से स्पष्ट होता है कि उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आरोपों के प्रमाणित होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि

आरोपित पदाधिकारी का समर्थन ही किया है। उक्त आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–2 भी साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया गया है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री दशरथ प्रसाद सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध गठित आरोपों को विहित प्रक्रियान्तर्गत विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया है। श्री सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है तथा उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है, जिससे सरकार को आर्थिक क्षति हुई हो। अतः सम्यक् विचारोपरान्त, श्री दशरथ प्रसाद सिंह, तत्कालीन काराधीक्षक (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को आरोपों से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई 2014

सं० वि० प्रा० (I) अ[1]–12/10–1720—डा० विकास चन्द्र कुमार, उप निदेशक (कम्प्यूटर), सम्प्रति निलंबित विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या 1249 दिनांक 06.05.2008 के द्वारा निलंबित किया गया था। विभागीय संकल्प संख्या 288 दिनांक 29.01.2014 के द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त डा० कुमार को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. डा० कुमार को उनके अनाधिकृत अनुपस्थिति दिनांक 13.06.2007 से 22.05.2008 तक के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम 236 के अन्तर्गत वेतन रहित अवकाश स्वीकृत किया जाता है अर्थात आलोच्य अवधि में इन्हें वेतनादि का भुगतान नहीं होगा।

3. उक्त कंडिका–2 में वर्णित अवधि को छोड़कर इनके निलम्बन अवधि का पूर्ण वेतनादि का भुगतान होगा।

4. डा० कुमार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय में उप निदेशक (कम्प्यूटर) के पद पर योगदान देंगे।

5. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 51—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in